



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 फरवरी, 2024

सप्तदश विधान सभा

एकादश सत्र

बुधवार, तिथि 28 फरवरी, 2024 ई०

09 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा।
अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर कालअल्पसूचित प्रश्न सं0-31(श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष एम०एम०जी०एस०वाई०(एन०डी०बी०) (ब्रिक्स) अन्तर्गत एकरारित है, जिसके एकरारनामा की राशि 1128.28 लाख रु० है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 11.10.22 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.04.24 है। संवेदक द्वारा कुल 8 में से 4 पियर तथा 2 में से 1 एब्यूटमेंट के वेल फाउंडेशन में कराये गये आंशिक कार्य के विरुद्ध 102.88 लाख रु० का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य में बहुत धीमी प्रगति रहने के कारण इनके एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है तथा इनके निबंधन को काली सूची में सम्मिलित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अवशेष कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए।

श्री भाई वीरेन्द्र : जी-जी। महोदय, जो मेरा प्रश्न था, उसका सही ढंग से उत्तर नहीं आ पाया।

अध्यक्ष : इसके बाद भी पूरक होता है क्या?

श्री भाई वीरेन्द्र : हाँ, होता है। मेरे पूछे गये प्रश्न के प्राक्कलित राशि की अनुपलब्धता का औचित्य क्या है, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरा-जब संवेदक का कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 10.04.2024 थी तो समय पूर्व एकरारनामा को विखंडित करने का औचित्य क्या है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पढ़े नहीं है आप।

श्री भाई वीरेन्द्र : पढ़े हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पढ़े हैं तो ठीक-ठीक स्थिति यह है कि वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष एन०डी०बी० (ब्रिक्स) अन्तर्गत एकरारनामा में है। जिसके

एकरारनामा की राशि 1128.28 लाख रु0 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 11.10.22 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10.04.24 है। संवेदक द्वारा कुल 8 में से 4 पियर तथा 2 में से 1 एब्यूटमेंट के बेल फाउंडेशन में कराये गये आंशिक कार्य के विरुद्ध 102.88 लाख रु0 का भुगतान किया गया है। निर्माण कार्य में बहुत धीमी प्रगति रहने के कारण इनके एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है तथा इनके निबंधन को काली सूची में सम्मिलित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अवशेष कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

फिर से स्टीमेट बनवाया जा रहा है, एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया है।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा यह जवाब में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त पुल का कब तक निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा?

अध्यक्ष : प्रक्रिया में है।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उसमें जो पहले था, उसमें निर्धारित थी लेकिन उसके मुताबिक काम नहीं किया तो एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया गया, इसका फिर से रिवाईज स्टीमेट बनवाया जा रहा है, इसका फिर से टेंडर किया जायेगा और इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : एक समय सीमा उसमें लिखा जाता है कि कब तक कार्य को पूर्ण करना है?

अध्यक्ष : जल्दी करा देते हैं, मंत्री जी।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, उसमें समय सीमा देना पड़ता है कि कब तक?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जब तक स्टीमेट आ नहीं जाता है तब तक इसमें टाईम तो लगेगा। लेकिन जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-32(श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक।

2. आंशिक स्वीकारात्मक।

ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन सभी पथों के लिए निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से पाँच वर्षों तक रूटीन अनुरक्षण कार्य कराने का प्रावधान है।

प्रावधान के अनुरूप सभी पथों में रूटीन अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। समयावधि में रूटीन अनुरक्षण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

3 आंशिक स्वीकारात्मक ।

ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन सभी पथों में प्रावधान के अनुरूप रूटीन अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत सभी पूर्ण पथों के लिए रूटीन अनुरक्षण कार्य की नियमित जाँच आधुनिक तकनीक से की जाती है । विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नई अनुरक्षण नीति-2018 इत्यादि के रूटीन अनुरक्षण कार्य की जाँच विभिन्न ऐप के माध्यम से की जाता है ।

कार्य प्रमंडल से संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कर्नीय अभियंता द्वारा राज्य योजना के पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत आनेवाले पथों/पुलों में से क्रमशः न्यूनतम 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा 02 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण BRRMS Mobile App द्वारा प्रतिमाह किया जा रहा है । ऐप के माध्यम से पथों के प्रत्येक कि0मी0 के लिए Random Chainage पर पथ के पाँच-पाँच अर्थात् कुल पच्चीस फोटोग्राफ अपलोड किये जाते हैं । इसके जाँच प्रतिवेदन का अनुश्रवण एवं तदनुसार आवश्यक कार्रवाई PIU स्तर से किया जा रहा है । समग्र रूप से सभी प्रकार के निरीक्षण का अनुश्रवण मुख्यालय स्तर से किया जाता है ।

4. राज्य योजना के तहत सभी पथों में रूटीन अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । समयावधि में रूटीन अनुरक्षण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभिप्राय है कि राज्य में सड़कों के निर्माण में जो निविदा होता है, सड़क के निर्माण के साथ-साथ पाँच साल उसका देख-रेख और मरम्मति का जिम्मा भी संवेदक का होता है । लेकिन कई सड़क ऐसे हैं, जिसके निर्माण के बाद में अनुरक्षण का कार्य संवेदक के द्वारा नहीं किया जाता है और सड़क गढ़ा में तब्दिल हो जाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिस वित्तीय वर्ष प्राक्कलन में ही अलग-अलग वर्षों का अनुरक्षण का राशि शामिल रहता है, जिस वित्तीय वर्ष में उसके अनुरक्षण का राशि निहित है, उस वित्तीय वर्ष में अगर संवेदक काम करता है तो उसे उस वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होता है । बिना काम किये हुए भी संवेदक दूसरे एवं तीसरे वर्ष में भुगतान ले लेते हैं । माननीय मंत्री जी

से हम जानना चाहेंगे कि क्या इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कि जिस वर्ष में सड़क का मरम्मत होगा, उस वर्ष में राशि का भुगतान होगा, नहीं तो संवेदक फर्जीवाड़ा करके जो भुगतान करना चाहते हैं, उसपर रोक लगाने का काम करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसकी पूर्ण समीक्षा करके इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी को केवल अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी सड़क का निर्माण होता है

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि जो आप कहते हैं, उसको लिखकर दे दीजिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : दे देंगे अध्यक्ष महोदय । लेकिन विषय आ गया है, दो मिनट अपनी बात को हम रखना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : सड़क के निर्माण के प्राक्कलन में प्रतिवर्ष के साथ-साथ राशि निहित होती है । संवेदक क्या करता है कि मरम्मत नहीं किया सड़क का, तीन साल बाद एक बार तीन साल का पैसा उठा लेता है । हम यह व्यवस्था चाहते हैं, माननीय सदस्य भी अवगत होंगे कि जिस साल में मरम्मत का जितनी राशि निहित है, उस साल में उस सड़क का मरम्मत हो जाय, नहीं मरम्मत होता है तो उस साल का भुगतान नेक्स्ट ईयर में नहीं होना चाहिए । हम इस व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी इसपर विचार कर लें ।

अध्यक्ष : पवन जी, माननीय मंत्री ने साफ-साफ कहा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य की भावना से मैं सहमत हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं और वे पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और जो व्यवस्था बन सकती है, उसको करेंगे । आपसे आग्रह किया कि आप लिखकर दे दीजिए, जो आप चाहते हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री नारायण प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-ख 633(श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0-6, नौतन)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, खंड-1,2,3 वस्तुस्थिति यह है कि चन्द्रावत नदी पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बैरिया प्रखंड के पथरखा चौड़ से निकलकर

पश्चिमी चम्पारण जिला के मुख्यालय बेतिया शहर से होते हुए नौतन प्रखंड के भरबलिया ग्राम के पास गंडक नदी में मिल जाती है। चन्द्रावत नदी की कुल लम्बाई 24.39 कि0मी0 है। यह बात सही है कि नदी के किनारों में शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है जिसके खिलाफ विधिवत दायर मुकदमा करके वाद दायर करके विभाग इनको मुक्त कराने की कार्रवाई करेगा।

जहां तक कोहड़ा नदी का प्रश्न है। पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बेतिया के पथरी घाट के पास चन्द्रावत नदी से निकलकर बेतिया शहर होते हुए मंझौलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत कुदरा के पास सिकरहना नदी में मिल जाती है। कोहड़ा नदी की कुल लम्बाई 41.91 कि0मी0 है। कोहड़ा नदी के किनारों का अतिक्रमण आंशिक रूप से बेतिया शहर के आस-पास किया गया है।

चन्द्रावत नदी के किनारे किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी, बेतिया का कार्यालय में अतिक्रमण वाद संख्या-01/2019-20 दायर किया जा चुका है। इसके विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय सी0डब्लू0जे0सी0 मामला दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। इस तरीके से न्यायालय का स्थगन आदेश आने के कारण उसमें आगे की कार्रवाई रुक गई है।

कोहड़ा नदी की कुल लम्बाई 41.91 कि0मी0 में 9 कि0मी0 नदी के निम्न प्रवाह में गाद सफाई का कार्य वर्ष 2023 में किया गया था, शेष में गाद सफाई की योजना हमलोग बनाकर अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे नारायण जी।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष जी, कब तक निष्पादन हो जायेगा?

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में।

श्री नारायण प्रसाद : अगले वित्तीय वर्ष में चन्द्रावत की अतिक्रमण जो है.....

अध्यक्ष : अतिक्रमण का तो कोर्ट में है, माननीय मंत्री जी ने आपको बताया है। कोर्ट से स्टे हो गया है, उसका निर्णय तो कोर्ट करेगा।

श्री नारायण प्रसाद : सर, अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा?

अध्यक्ष : सफाई करा देंगे, अब बैठिए।

श्री नारायण प्रसाद : ठीक है सर।

तारांकित प्रश्न सं0-क-421(श्रीमती कविता देवी,क्षेत्र सं0-69,कोढ़ा(अ0जा0)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, उत्तर पथ दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 का निर्माण एवं संधारण एन0एच0ए0आई0 द्वारा किया जा रहा है । कटिहार जिलान्तर्गत कोशी नदी पर एन0एच0-31 पर प्रश्नगत कुरसेला सड़क पुल पर सुचारू रूप से आवागमन चालू है । इस पुल का उचित रख-रखाव एन0एच0ए0आई0 के द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से किया जाता है एवं इसका निरीक्षण अधिकृत एजेंसी की देख-रेख में की जाती है तथा आवश्यकतानुसार मरम्मती का कार्य भी किया जाता है ।

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-31 के खण्डिया-पूर्णिया पथांश के चार लेन चौड़ीकरण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का प्रस्ताव एन0एच0ए0आई0 मुख्यालय में विचाराधीन है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय इस सेतु के जीर्णोद्धार समानान्तर नये पुल के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्रीमती कविता देवी : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-1073(श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव,
क्षेत्र सं0-216,जहानाबाद)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1074(श्री केदार प्रसाद गुप्ता,क्षेत्र सं0-93,कुढ़नी)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1075(श्री आबिदुर रहमान,क्षेत्र सं0-49,अररिया)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री आबिदुर रहमान : महोदय, हमारे पास नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । आबिदुर रहमान साहेब का उत्तर पथ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : उत्तर जब भेज दिया जाता है तो नहीं मिला

अध्यक्ष : नहीं देख पाये हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के एलायनमेंट में अवस्थित बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे करा लिया गया है जिसका सर्वे आई0डी0-66228 है ।

तदनुसार समीक्षोपरान्त प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री आविदुर रहमान : जी, हुजूर, इसको जल्दी करखा दिया जाय, बहुत परेशानी हो रही है ।
अध्यक्ष : अब बैठिए ।

टर्न-2/शंभु/28.02.24

तारांकित प्रश्न सं0-1076(श्री विनय बिहारी)क्षेत्र सं0-5, लौरिया

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1-स्वीकारात्मक है ।
2- आंशिक स्वीकारात्मक है । पथ की लम्बाई 3.65 किमी 0 है।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है:-

(1) खलवा टोला श्री रामाकांत मुखिया जी के घर से बेनी माधव जी के टोला होते हुए झवनिया मुशहर टोला तक पथ- उक्त पथ की लम्बाई 2.50 किमी 0 है, जो कच्ची है । इसका सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत झवनिया मुशहर टोला से खलवा टोला मंदिर तक पथ के नाम से मोबाइल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आइडी 0- 66268 है ।

(2) झवनिया मुशहर टोला से पकड़ी टोला होते हुए नवलपुर तक पथ - उक्त पथ की लम्बाई 1.150 किमी 0 है, जो कच्ची है । इसका सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत पकड़ी टोला वार्ड नं0-2 से झवनिया मुशहर टोला तक पथ के नाम से मोबाइल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आइडी 0-66265 है । तदनुसार समीक्षोपरान्त निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों पथों एवं आवश्यकतानुसार पुलियों के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है विस्तृत आसमान की तरह लेकिन हमारा प्रश्न है एक नन्ही सी जान की तरह ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पहला पूरक ये है कि बिहार के अंदर जो श्रमिक मरते हैं उनको पैसा 4 लाख मिलता है, लेकिन बिहार के बाहर जो मरते हैं उनको पैसा 2 लाख तो मेरा पूरक ये है कि बिहार में मजदूर मरे या बिहार से बाहर.....

अध्यक्ष : क्या पूछ रहे हैं आप ? अपना प्रश्न तो पढ़िये । उत्तर दे दिया गया है पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि जो सड़क है वह कच्ची है और तीन दलित बसावटों को जोड़ती है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि ये जो सड़क है माननीय मंत्री जी बतायें कि कब तक बनकर तैयार हो जायेगा।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि पुलिया के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी अगले वित्तीय वर्ष में।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में।

श्री विनय बिहारी : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-'ए'1077(श्री राजेश कुमार सिंह)क्षेत्र सं0-104, हथुआ
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1078(श्री सिद्धार्थ सौरव)क्षेत्र सं0-191, बिक्रम
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1079(श्री सउद आलम)क्षेत्र सं0-53, ठाकुरगंज
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पी0एम0जी0एस0वाइ0 1 अन्तर्गत निर्मित एल026 से बारहमसला तालबाड़ी पथ का पथांश है। पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि की समाप्ति की तिथि 04.03.2024 है। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण विभाग द्वारा डिफॉल्टर सूची में इनका नाम सम्मिलित करते हुए आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के अनुपालन में इनका नाम डिफॉल्टर सूची से विलोपित किया गया। संवेदक को कई बार निर्देशित करने के बावजूद अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण इनके एकराननामा को विखंडित कर दिया गया है तथा इन्हें काली सूची में शामिल करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पथ की मरम्मति हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है।

श्री सउद आलम : महोदय, उत्तर गोलमोल दिया गया है। मेरा सवाल यह था कि वह रोड अंडर मेनटेनेन्स में अभी 4 मार्च तक है। महोदय, असल में ब्लैकलिस्ट किया जायेगा इस चक्कर में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। वह एक मात्र रोड है जो नेपाल की ओर जाता है और वह जो बाजार है पदमपुर बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है, डेली लोगों का आवागमन है लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री सउद आलम : मेरा पूरक यही है कि कब तक माननीय मंत्री जी इसको करवायेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है महोदय, इसको देखवा लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1080(श्री संजय कुमार सिंह) क्षेत्र सं0-124,लालगंज

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1081 (श्री सत्यदेव राम) क्षेत्र सं0-107, दरौली(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1-आर्थिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टोरकीपर, 138 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कम्पाउंडर एवं 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन का पद सृजित है । राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्टोरकीपर, कम्पाउंडर के सभी पद वर्तान में रिक्त हैं एवं लाइब्रेरियन के स्वीकृत 03 पद के विरुद्ध 01 कर्मी कार्यरत हैं । वर्तमान में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाना है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरा पूरक है कि वर्तमान में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाना है ये निर्णय कब तक लिया जाना है ? यह सरकार समय बताये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट किया गया है कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टोर कीपर, कंपाउंडर के सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं एवं लाइब्रेरियन के स्वीकृत 3 पद के विरुद्ध 1 कर्मी कार्यरत हैं । महोदय, ये प्रक्रियाधीन हैं और विभाग स्तर पर इसपर निर्णय लिया जायेगा । यह प्रक्रिया चल रही है ।

अध्यक्ष : कब तक लेंगे वही तो पूछ रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा, लिंगर नहीं किया । मैंने तो साफ शब्दों में कहा कि आप कब तक निर्णय लेंगे उसका टाइम बता दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बता दिया गया है कि निर्णय प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, ये तो वर्षों से खाली चला आ रहा है और फिर वह दरवाजा खुला रह रहा है कि वह खाली रह जायेगा । यह मजदूरों का सवाल है इसको सरकार को एक समय सीमा में लाना चाहिए कि दो महीना, चार महीना कितने दिनों में करेगी सरकार? ऐसे ही दरवाजा खोलकर रखे रहेगी और उसपर कार्रवाई नहीं होगा, यह कौन सा प्रोसेस है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल्द से जल्द करने की व्यवस्था बन रही है और हर विभाग के अंदर यह सरकार जब से एन०टी०ए० की सरकार आयी है तब से यह व्यवस्था शुरू हुई है और जल्द से जल्द हर विभाग में पूरा भी होगा। इसको भी हमलोग जल्द से जल्द देखेंगे ।

अध्यक्ष : होगा, होगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, ये जल्द से जल्द, लगभग, कुछ ये इनभेग शब्द हैं । हम इनभेग शब्दों में नहीं जाना चाहते हैं । हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी उसका कोई समय लेकर के ही बोलें लेकिन स्पष्ट बोलें कि हम इतने दिनों में करवा देंगे ।

अध्यक्ष : बोले तो कि शीघ्र करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : शीघ्र का सवाल नहीं है महोदय ।

अध्यक्ष : शीघ्र का मतलब क्या है ? शीघ्र करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : उनको एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए ताकि हमलोग समझ जायेंगे चूंकि यह वर्षों से खाली आ रहा है, रिक्त पद आ रहा है और वही रिक्त पद की प्रक्रिया मंत्री जी बता रहे हैं ।

अध्यक्ष : सरकार कह रही है कि सब रिक्त पद भरेंगे, सब कार्रवाई करेंगे । बैठिए ।

(व्यवधान)

बैठिए, बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ कन्फ्यूजन था इसलिए इनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बोले कि गलतफहमी में मत रहिये 103 पद की बात कर रहे हैं । जिस विभाग से ये प्रश्न किये हैं वहां कई बहाली, कई नियुक्ति हो चुकी है । यह भी प्रक्रियागत यह सतत प्रक्रिया है चलते रहता है । इनके प्रश्न से इसके प्रक्रिया और इस बहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का है क्योंकि वह विभागीय प्रक्रिया है उसमें चलते रहता है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इसमें.....

अध्यक्ष : हो गया, तीन बार हो गया आपका ।

तारंकित प्रश्न सं-1082(श्री विजय कुमार मंडल)क्षेत्र सं-210,दिनारा
 (लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पुलों के निर्माण से संबंधित है। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के गनेशी टोला के निकट कंचन नदी पर पुल निर्माण :- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ एम०आर०-3054 अन्तर्गत मरम्मति किये गये चौसा कैनाल सर्विस रोड जमरोड़ से गंगाढ़ी भाया जोकिया पथ 10.150 कि०मी० है।

दूसरी तरफ गनेशी टोला अवस्थित है जिसकी आबादी लगभग 30 है। पुल स्थल के वाइ/एस में 1.40 कि०मी० पर नये पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जो निविदा की प्रक्रिया में है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के डी/एस में 0.600 कि०मी० की दूरी पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल निर्मित है।

प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ योग्य बसावट नहीं रहने एवं यू/एस में 1.40 कि०मी० पर पुल स्वीकृत रहने तथा डी/एस में 0.600 कि०मी० पर पुल निर्मित रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रोहतास जिला के सूर्यपुरा प्रखंड के कोसंदा में कॉव नदी पर पुल निर्माण :- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन कॉव नदी के एक तरफ कोसंदा गांव है, जिसे बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत मरम्मति किये गये पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। नदी के दूसरे तरफ पररिया एवं राघो डिहरा बसावट है। दोनों बसावटों को पी०एम०जी०एस०वाइ० द्वारा निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है।

प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदत्त रहने एवं यू/एस में 5.50 कि०मी० तथा डी/एस में 3.00 कि०मी० पर पुल निर्मित रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए।

श्री विजय कुमार मंडल : हम क्वेश्चन किये हैं पुल के लिए और जवाब मिला है रोड के लिए।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैं पढ़ देता हूँ इनके उत्तर को रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड इनका है कि कॉव नदी पर पुल नहीं है जिससे आम जनता को यातायात में परेशानी हो रही है तो सरकार कब तक गनेशी टोला के पास कंचन नदी पर एवं कोसंदा में कॉव नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है। इस गांव के एक तरफ प्रश्नाधीन पुल स्थल से योग्य बसावट नहीं रहने के कारण 1.40 कि०मी० पुल स्वीकृत रहने तथा डी/एस में 0.600 कि०मी० पर पुल निर्मित रहने के कारण इस

निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरा में भी वही है महोदय कि पुल बगल में है इसलिए इसका कोई प्रस्ताव पुल बनाने का विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : कैसे पढ़ लेते हैं विजय बाबू।

श्री विजय मंडल : कहां पुल है? मंत्री जी कह रहे हैं कि बगल में पुल है, वहां कितना दूर में पुल है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 5 किमी।

श्री विजय मंडल : कम से कम 15 किमी में है, जवाब में गलती लिखा हुआ है। कम से कम 15 किमी।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : ठीक है इसको देखवा लेंगे।

श्री विजय मंडल : सर, जाँच करा लिया जाय अगर 5 किमी होगा तो छोड़ दीजिएगा।

अध्यक्ष : ठीक है विजय जी, देखवा लेंगे इसको।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आप लिखकर दीजिए कि 15 किमी पर है हम इसकी जाँच करवा लेंगे।

श्री विजय मंडल : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं-‘बी’1083(श्री शकील अहमद खां)क्षेत्र सं-64,कदवा

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत पूछा गया प्रश्न तीन पथों से संबंधित है, जिसमें :- (1) तेघड़ा से बारसोई पथांश :- कटिहार बलरामपुर पथ एस०एच०-९८ का अंश है, जो पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन है, जिसका टू लेन मानक संरचना के अनुरूप चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(2) निस्ता तेघड़ा पथ :- यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी कुल लंबाई 7.10 किमी है, जो पी०एम०जी०एस०वाइ० 2 योजनान्तर्गत निर्मित विदेयपुर से तेघड़ा पथ 14.10 किमी का पथांश है। ट्रैफिक सर्वे के अनुसार कैरेज वे 3.75 मी० है। उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के तृतीय वर्ष में है। अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात् ट्रैफिक सर्वे के फलाफल के आधार पर इसके चौड़ीकरण पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) बलिया बलौन चौक से निस्ता पथ :- यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व में है, जिसकी कुल लंबाई 2.861 किमी है। पी०एम०जी०एस०वाइ० योजनान्तर्गत निर्मित है एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। वर्तमान में पथ क्षतिग्रस्त है, जिसके उन्नयन हेतु ट्रैफिक सर्वे के अनुसार कैरेज वे 5.50 मी० का प्रावधान करते हुए डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है।

निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ के उन्नयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए शकील साहब ।

श्री शकील अहमद खां : सर, इसमें भी वही कन्फ्यूजन है। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके उपर दो और जवाब मिल गये हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो या तो सर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर कहिये कि जो सवाल आता है उसका जवाब ठीक से दिया करें। ये जो मेरा प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब तीसरे नंबर पर है। एक तो ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है, बलिया बलौन निस्ता ये कदवा में है बारसोई डिविजन में, बघुवा स्कूल बघुवा पुल सिंधिया मोड़ बारसोई अनुमंडल का है। उसका जवाब तो आपने ठीक दिया है लेकिन उसके पहले बारसोई पथरा इस पथ में आता ही नहीं है। जो इस पथ में पथ आता ही नहीं है इस इलाके में उसका भी जवाब इसमें आ गया है।

अध्यक्ष : और अच्छा न है।

श्री शकील अहमद खां : अच्छा कैसे है ?

अध्यक्ष : आपके अपने प्रश्न का जवाब है कि नहीं।

श्री शकील अहमद खां : इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अधिकारी लोग सही जवाब लिख नहीं पा रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं। ये सरकार के लिए या जिनके प्रश्न का जवाब है उनके लिए ठीक बात नहीं है। इसको देखवा लिया जाय सर। जब सवाल आता है तो उसका जवाब आपके अधिकारी ठीक ढंग से दिया करें ये ज़रूरी है आपके लिए और हम सब लोगों के लिए।

अध्यक्ष : ठीक है।

टर्न-3/पुलकित/28.02.2024

तारांकित प्रश्न सं0-1084, श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र सं0-77, महिषी)
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 24.657 कि0मी0 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि- 14.11.2022 है। यह पथ नवहट्टा प्रखंड के कोशी नदी के तट पर बने पूर्वी एवं पश्चिमी बांध के अंदर स्थित है। पथ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार पथ में सात अदद उच्चस्तरीय पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इनमें से दो उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दो पुल का निर्माण कार्य सुपर-स्ट्रैक्चर एवं दो पुल

का निर्माण कार्य सब-स्ट्रैक्चर के चरण में है। शेष एक पुल का निर्माण सतत लीज में सहमति नहीं मिलने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है। इस भूमि पर दो रैयत हैं, जिसमें से एक सहमत हैं तथा एक सहमत नहीं हो रहे हैं। सतत लीज के लिए असहमत रैयत से सहमति हेतु प्रयास किया जा रहा है।

पथ में जी0एस0बी0 का कार्य प्रगति में है। अत्याप्रिशित बाढ़ एवं बरसात के उपरांत जी0एस0बी0 की मुटाई में क्षति के कारण विभाग द्वारा इसकी आकलन हेतु टीम गठित कर प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

सम्प्रति 80 प्रतिशत पुल/पुलिया का निर्माण किया जा चुका है एवं निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति में है। सतत लीज पर भूमि के अधिग्रहण एवं प्राक्कलन के पुनरीक्षण के उपरांत छः माह के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये।

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, एकजीक्यूटिव इंजीनियर या जो भी पदाधिकारी रिपोर्ट दिया है वह गलत रिपोर्ट दिया है। जब तटबंध के अंदर में नाव से हमलोग चलते थे अब तो गांव-गांव सड़क बन गयी है। ये रिपोर्ट में लिखते हैं कि तटबंध अंदर में है दोनों बांध के बीच में है, समस्या है। जबकि कोई समस्या नहीं है, हर गांव तक सड़क जा चुकी है। यह उस एरिया की लाईफलाइन है। महोदय, यह वर्ष 2021 में हो जाना चाहिए लेकिन अब तो लग रहा है कि पांच-सात साल का समय और लगेगा।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये।

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, मेरा कहना है कि यह कब तक बन जायेगा, इतना ही हम जानना चाहते हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें स्पष्ट उत्तर लिखा है कि पूरी मुस्तैदी से सब कार्य किया जा रहा है। छह महीने में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस संबंध में बैठकर बात कर लीजियेगा।

तारांकित प्रश्न सं0-1085, श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1086, श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र सं0-100, बरौली)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)
(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो आप से भी बात करना चाहते हैं। आप बात करने के लिए तैयार होइये, वे बात करने के लिए तैयार हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-1087, श्री अनिरुद्ध कुमार (क्षेत्र सं0-180, बच्चियारपुर)
 (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1088, श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र सं0-55, कोचाधामन)

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, उत्तर नहीं मिला है इसलिए पूछता हूँ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बगलबाड़ी ग्राम महानन्दा नदी के दायें तट पर अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल पर बाढ़ वर्ष 2023 के दौरान कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान में वहां पर कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है। महोदय, बाढ़ के दौरान या उससे पहले कटाव परिलक्षित होगा यानी कटाव की स्थिति बनेगी तो उसे संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखा जाएगा।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, वहां पर कटाव हो रहा है और नदी के बायें साईड में पुलिस लाईन भी है और कुछ ही दूरी पर वहां पर ए०एम०य०० साख खुली हुई है। अगर वहां पर इस बार काम नहीं किया जाए तो पश्चिम तरफ बगलबाड़ी गांव है, वह गांव भी खत्म होगा और सैकड़ों एकड़ जमीन भी नदी में विलीन हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार अविलम्ब उसमें काम करने की कोशिश करें।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है और पिछले वर्ष का भी जिक्र हमने किया है कि वहां पर कटाव की स्थिति बनी थी तो कटाव निरोधक कार्य और बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करके भी स्थल को सुरक्षित रखा गया था। वैसे सूचना है कि अभी कटाव नहीं दिख रहा है लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से हम किसी वरीय अभियंता को भेजकर दिखवा लेंगे और अगर पुलिस लाईन भी बगल में है तो हम और ज्यादा संवेदनशीलता से उसकी सुरक्षा करेंगे।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, यही आपसे गुजारिश है कि दोनों साईड में दिखवा लीजिए क्योंकि इससे पुलिस लाईन भी खत्म हो जाएगी। ए०एम०य०० की साख भी खत्म होगी और हजारों एकड़ जमीन खत्म हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आप बहुत जल्द इस काम को करवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-'सी'1089, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र सं0-207, चेनारी (अ०जा०))
 (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1090, श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र सं0-121, परसा)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-'डी'1091, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुना तिवारी
(क्षेत्र सं0-200, बक्सर)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1092, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह
(क्षेत्र सं0-1, वाल्मीकिनगर)
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है:-

- 1- भिन्सिंगवा से कुनघुसरी पथः- उक्त पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-30865 है।
- 2- विनवलिया के पश्चिम में करमाहा से विनवलिया तक पथः- उक्त पथ का सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-53730 है।

तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों पथों के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : महोदय, उत्तर में दिया गया है कि भिन्सिंगवा से कुनघुसरी पथ जिसकी सर्वे आई0डी0 - 30865 है और विनवलिया के पश्चिम में करमाहा तक जिसका सर्वे आई0डी0-53730 है। महाशय, मैं जवाब से संतुष्ट हूं लेकिन आग्रह है माननीय मंत्री जी से दोनों अति आवश्यक है, जल्द से जल्द इनको करवा दिया जाए।

अध्यक्ष : ठीक है, जल्द करवा दें।

तारांकित प्रश्न सं0-1093, श्री सुनील मणि तिवारी (क्षेत्र सं0-14, गोविन्दगंज)

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के पुछरिया गांव चम्पारण तटबंध के 101 से 104 किलोमीटर के

बीच नदी भाग में अवस्थित है मतलब बांध के अंदर है । नदी के किनारे से पुछरिया गांव की दूरी 50 मीटर एवं तटबंध की दूरी लगभग 350 मीटर है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये । आप लोग बैठे-बैठे बोलिये नहीं । माननीय सदस्य उत्तर सुनिये ।

माननीय मंत्री जी उत्तर बोलिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पुछरिया ग्राम में गण्डक नदी से गाद की निकासी हेतु हमलोग खान विभाग से भी सम्पर्क किये हैं और गाद सफाई की योजना बनाई जा रही है जो बनाकर इस कार्य को कराया जाएगा ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा क्योंकि गाद नहीं निकलेगी तो वह गांव कट जायेगा क्योंकि पुछरिया गांव मात्र 50 मीटर बता रहे हैं। पिछली बार भी यही दशा हुई थी, कटने पर गांव समाप्त हो जाएगा । मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि गाद कब तक निकालवायेंगे । जबकि एजेंडा वहां के कार्यपालक अभियंता विभाग में भेज चुके हैं । विभाग में आ गया है अगर विभाग उस पर कार्रवाई करे तो यथाशीघ्र हो जाएगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, कटाव नहीं हो इसी के लिए हमलोग जो सोल कटिंग कहते हैं । गाद जमा होते-होते नदी का जो मध्य भाग होता है, जहां नदी सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पर गाद का सोल बन जाता है मतलब वहीं पर टिला बन जाता है । कभी गांधी सेतु से जाते होकर देखेंगे तो दिखेगा अब गंगा नदी की भी यही स्थिति हो गयी है । महोदय, अब हमलोग सोल कटिंग का भी काम करते हैं मतलब बीच में जो गाद की उभार हो जाती है उसको काटकर नदी का प्रवाह केन्द्रिकृत रहे मतलब नदी बीच में बहे, उसके लिए हमलोग अलग से योजना बना रहे हैं बल्कि उस मिट्टी का कहीं व्यावसायिक उपयोग हो जिससे दूसरे काम में भी लग सके । वह योजना हम बनाये हैं और वैसे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर यहां पर किसी तरह के खतरे की आशंका होगी तो जरूर विभाग उसको देखकर उसकी पूरी निगरानी करेगा ।

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी वहां पर लिखकर एजेंडा-211/70-2024 भेजा है । अगर जरूरी नहीं रहता तो कार्यपालक अभियंता क्यों गाद निकालने के लिए कहते ।

अध्यक्ष : उसको दिखवा लीजिए, इंजीनियर ने कोई एजेंडा भेजा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ठीक है ।

श्री सुनील मणि तिवारी: महोदय, एजेंडा भेजा है।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री सुनील मणि तिवारी : महोदय, हम इसी पर मांग किये हैं जब कार्यपालक अभियंता एजेंडा करके भेजा है तो मंत्री महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र अगर उसको निकलवा लेंगे तो आने वाली बाढ़ में वह गांव बच जायेगा।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1094, श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र सं0-191, बिक्रम)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-'ई' 1095, श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र सं0-146, बेगूसराय)

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बेगूसराय प्रखंड के चांदपुरा पंचायत के दो किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ है, इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग।

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दो बार ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग दोनों में हस्तांतरित हुआ है। मैं इस प्रश्न की एक बार समीक्षा करके, माननीय सदस्य के साथ बैठकर, इस प्रश्न की समीक्षा करके निपटारा करता हूँ।

श्री कुंदन कुमार : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-1096, श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र सं0-152, बिहपुर)
(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पूर्व में पंचायत द्वारा निर्मित है, जिसकी लंबाई 850 मी० है। उक्त पथ की मरम्मती बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है। लेकिन विभाग के द्वारा बिल्कुल रटी-रटाई भाषा का प्रयोग किया गया है। महोदय, एक पंचायत के द्वारा कहा गया है कि बन गया है, महोदय 10 वर्ष पहले बना है। महोदय, उस रास्ते पर एक भव्य मंदिर बना है जो सनातन धर्म को मानते हैं वे उस रास्ते पर पूजा करने के लिए जाते हैं। हम माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहते हैं कि यह पंचायत के द्वारा 10 वर्ष पहले बना है। क्या ग्रामीण कार्य विभाग इस प्रश्नगत पथ को अभी बनाना चाहती है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा है कि इसकी समीक्षा करके और निधि की उपलब्धता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्षः समीक्षा करके आगे की कार्रवाई करेंगे ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, यही तो हम कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य की बेटी की शादी दो दिन पहले हुई है । उसके कारण थोड़ा गला बज्जा है, इसकी चिंता मत कीजिए ठीक हो जायेंगे ।

तारंकित प्रश्न सं0-1097, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र सं0-213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1- स्वीकारात्मक ।

2- स्वीकारात्मक ।

3- योजना पर विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति की सहमति प्राप्त है । विभागीय प्राथमिकता एवं निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्य कराने पर विचार किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, पूछता हूँ । महोदय, प्रश्न खंड-1 एवं खंड-2 का उत्तर स्वीकारात्मक लिखा गया है । खंड-3 में यह बात कही जा रही है कि विभागीय प्राथमिकता के आधार पर तो मैं सरकार ये यही जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विभागीय प्राथमिकता में इसको जोड़ेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

टर्न-4/अभिनीत/28.02.2024

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट है । ऐसे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं नाबार्ड द्वारा ऋण संपोषित होती हैं । रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड अंतर्गत देव आहर का जीर्णोद्धार कार्य योजना का विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत सहमति दी गयी है । विभागीय प्राथमिकता एवं नाबार्ड से ऋण स्वीकृति उपरांत विहित प्रक्रिया के तहत योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, यह तो लिखा हुआ है। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसको विभागीय प्राथमिकता में शामिल करेगी और दूसरा कि निधि उपलब्ध कराकर इस काम को कब तक करायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने तो बता दिया कि सहमति दी गयी है। सहमति दी गयी है और प्राथमिकता भी देने की बात हमलोग कर ही रहे हैं।

अध्यक्ष : कर रहे हैं ।

श्री अरूण सिंह : नहीं महोदय, स्पष्ट नहीं हो रहा है। सब चीज सरकार मान रही है लेकिन जो अड़चन है और जो गोल-मटोल जवाब है कि विभागीय प्राथमिकता के आधार पर, तो क्या सरकार इसको विभागीय प्राथमिकता में लेगी ? इसको एक नंबर पर चाहे दो नंबर पर रखेगी ? और फिर पैसा उपलब्ध, अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को करायेगी ? यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्पष्ट कर दिया गया है। विभागीय सहमति जब मिली है तो प्राथमिकता में ही है। जल्द से जल्द शुरू हो, प्राथमिकता हम देंगे।

अध्यक्ष : चलिए हो गया ।

श्री अरूण सिंह : क्या अगले वित्तीय वर्ष में करायेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : विभाग का प्रयास होगा।

तारंकित प्रश्न सं0-1098 (श्री छत्रपति यादव, क्षेत्र सं0-149, खगड़िया)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारंकित प्रश्न सं0-1099 (श्री विनय बिहारी, क्षेत्र सं0-5, लौरिया)
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1- श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत असंगठित कामगार एवं शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को दो लाख रुपये का अनुदान बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में मृतक के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के असंगठित कामगार को राज्य के बाहर अन्य राज्य अथवा विदेश में दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को दो लाख रुपये का अनुदान बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

3- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

उपर्युक्त खण्डों में स्पष्ट किया गया है कि असंगठित कामगार की राज्य के अंदर दुर्घटना मृत्यु होने पर बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 तथा राज्य के बाहर दुर्घटना मृत्यु होने पर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अंतर्गत मृतक के वैध आश्रित को दो लाख रुपये भुगतान का प्रावधान है ।

इसके अतिरिक्त बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकार जिन्हें पहचान पत्र निर्गत किया गया है उनके वैध आश्रित को दुर्घटना मृत्यु के उपरांत चार लाख रुपये का अनुदान भुगतान करने का प्रावधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दिनांक-31.03.2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए दुर्घटना मृत्यु लाभ ₹0 2,00,000/-, पूर्ण अपंगता लाभ ₹0 2,00,000/- एवं आंशिक अपंगता लाभ ₹0 1,00,000/- हेतु Ex-gratia Module विकसित किया गया है जो दिनांक-28. 02.2024 तक प्रक्रिया में रहेगा ।

4- उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है विस्तृत आसमान की तरह लेकिन मेरा प्रश्न है एक छोटी सी, नहीं सी जान की तरह, वह इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो चार लाख और बिहार के बाहर मरता है तो दो लाख, ये लाश की कीमत भी दो और चार हो गयी है, मेरी समझ से बाहर की चीज है । मैं यह चाहता हूं कि चार लाख रुपये बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामियक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको चार लाख की राशि दी जाय । दूसरी बात मेरी यह है कि बहुत सारे कामगार, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, हम सब सभी सदन के लोग जानते हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, पूरक ही है कि बहुत सारे कामगार आज भी साक्षर नहीं हैं और वे किसी कारणवश या अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से श्रम कार्ड में अपना नाम नहीं जुड़वा पाते हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए न। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : महोदय, जो कामगार, श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है और बाहर काम करने गये हैं, मर गये हैं उनको एक रुपया भी नहीं मिलता है तो मेरा कहना है कि चाहे बिहार में मरे, चाहे बंगाल में मरे लेकिन उसके आश्रित को चार लाख रुपये की राशि दी जाय, यह मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है लेकिन इनको जानकारी भी है क्योंकि ये पहले भी, हम इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इनको जानकारी भी है कि पहले तो एक ही लाख रुपये दिया जाता था श्रम संसाधन विभाग से, यह हमलोग अपने पीरिएड में इसको दो लाख करवाये और जो चार लाख देने का है वह आपदा से है। इस विभाग से नहीं है, श्रम संसाधन विभाग से दो लाख रुपये दिये जाते हैं, तो महोदय, यह स्पष्ट है, इनको उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है कि दो लाख रुपये श्रम संसाधन विभाग से दी जाती है।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मेरा आग्रह है सदन में, गरीब से जुड़ा हुआ, मजदूर से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा आग्रह है कि सरकार हमारी है और हमारी ही सरकार, जब एक रुपया नहीं मिलता था तो एक लाख मिला फिर दो लाख हुआ, तो मेरा आग्रह है सदन से कि इसे चार लाख कर दिया जाय। गरीब मजदूर से जुड़ा हुआ, उसके आश्रित से जुड़ा हुआ, विधवा को कोई नहीं पूछता है। महोदय, कोई नहीं पूछता है, 14 दिन तक सबलोग पूछते हैं उसके बाद कोई नहीं पूछता है। “खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता चल दिया कलकत्ता”। कोई नहीं विधवा को पूछता है, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, मैं सरकार में हूं और सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जैसे हमारी सरकार ने दो लाख किया वैसे चार लाख कर दे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। आपके आग्रह को सरकार ने सुन लिया है।

माननीय सदस्य श्री राहुल तिवारी।

तारांकित प्रश्न सं0-1100 (श्री राहुल तिवारी, क्षेत्र सं0-198, शाहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 3.300 किमी है जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत “बिहियां चौरस्ता से नारायणपुर पथ”

के नाम से कराया गया था । सम्प्रति पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है जिसकी मरम्मति हेतु सर्वे एम०एम०जी०एस०वाई० अंतर्गत किया गया है । पी०सी०आई० के आधार पर किया गया है । इसका पी०सी०आई०-२ है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्वाई की जा सकेगी ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है । उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान ।

तारांकित प्रश्न सं-1101 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र सं-49, अररिया)

श्री आबिदुर रहमान : महोदय..

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, इस पर मंत्रीजी को बोलना चाहिए । यह मजदूरों का सवाल है, बड़ी संख्या है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

आगे बढ़ गये हैं । बहुत आगे बढ़ गये हैं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिए, पहले बैठिए । पहले अपने स्थान पर बैठिए । आबिदुर रहमान साहब, आप भी बैठ जाइये । बैठिए-बैठिए ।

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मजदूरों के प्रति इनकी सजगता यही दिखायी पड़ती है कि विभाग..

(व्यवधान)

सुन लीजिए । इस विभाग में इनको भी अवसर मिला था सेवा करने का, मौन क्यों थे महोदय ? सुनिए पूरी बात, यह भी हमने किया है और आगे सुनिए..

(व्यवधान)

अब हल्ला, शोर मचाने से नहीं बदलेगा । मजदूर को मजबूर करके पलायन के लिए विवश करने वाले लोग अगर शोर मचायेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा । समाधान हमेशा हमलोग किये हैं और हमलोग करेंगे ।

(व्यवधान)

सुनिए पूरी बात ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुनिए । बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अब हल्ला मत करिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले सुनिए । बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते । ये सुनना नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सुनिए न । बैठिए-बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, श्रम संसाधन विभाग..

(व्यवधान)

अब शांति से सुनिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोलिए । अपनी बात कहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, असंगठित कामगार एवं शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को दो लाख रुपये का अनुदान बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

महोदय, इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में मृतकों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्रावधान है, तो ये चार और दो छः लाख रुपये हुआ । आप दो, महोदय, अब ये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी । बैठिएगा तब न बोलेंगे । एक-एक कर बोलिए, बैठ जाइये सबलोग । नारा लगाने से होगा ? बैठिए न । बैठिए । माननीय मंत्रीजी, यह जो भ्रम है इस भ्रम को एक बार दिखवा लीजिए । जो समाधान उसका हो सकता है..

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इनकी जो चिंता है उसकी हम समीक्षा भी करेंगे और एक बार मजदूरों के साथ, अब मजदूर उसको हमलोग नहीं कहते हैं, उसको अब हम श्रमिक कहते हैं । ये श्रमिक सृजनकर्ता, निर्माता विश्वकर्मा की संतान हैं इनकी चिंता हमलोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान ।

माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, अब नहीं । हो गया ।

माननीय मंत्री, बोलिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नं0-8 मदरसा टोला परमान नदी के दायें तटबंध पर तथा वार्ड नं0-10 परमान नदी के दायें तट पर अवस्थित है..

..क्रमशः..

टर्न-5/हेमन्त/28.02.2024

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : नदी तट से बसावट की दूरी लगभग 10 से 15 मीटर दूर है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

बाढ़ अवधि में अत्यधिक जलस्राव होने पर पिछले वर्ष 2023 के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था और इस स्थल पर इस बाढ़ अवधि में भी सतत निगरानी रखी जायेगी और आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्य कराकर इस स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1102, श्री भारत भूषण मंडल(क्षेत्र सं0-40, लौकहा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठिये । अपने स्थान पर जाइये । सारे मामले को मंत्री जी दिखायेंगे, समीक्षा करेंगे, तो इसमें कहां विवाद का विषय पैदा होता है । साफ-साफ कह रहे हैं कि उसकी समीक्षा करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1103, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता(क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1104, श्री विश्व नाथ राम(क्षेत्र सं0-202, राजपुर

(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1105, श्री राहुल तिवारी(क्षेत्र सं0-198, शाहपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1106, श्री अमर कुमार पासवान(क्षेत्र सं0-91, बोचहाँ

(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1107, श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं-75, सहरसा)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री(लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ, महिषी-चैनपुर पथ की लम्बाई 7.63 किमी 0 है, जिसमें 7.25 किमी 0 OPRMC Package No.- 135B तहत संधारित है। पथ की स्थिति अच्छी है। शेष 380 मी 0 पथांश धेमरा नदी की धारा से कट गया है। कटे हुए भाग का पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन का गठन किया जा रहा है।

संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र पथ निर्माण कर यातायात चालू करा लिया जायेगा।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्री आलोक रंजन : महोदय, इसमें दो पूरक हैं। एक तो, विभाग के द्वारा जो...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जब माननीय मंत्री जी समीक्षा करेंगे, आपकी मर्जी से चलेगा, नियम-कानून से सदन चलेगा। सदन नियम-कानून से चलेगा और माननीय मंत्री ने कहा कि समीक्षा करेंगे। अपने स्थान पर जाइये। वेल में कही गयी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी। अपने स्थान पर जाइये।

श्री आलोक रंजन : महोदय, विभाग के द्वारा जो सूचना दी गयी है, ओपीआरएमसी में इसमें काम हो रहा है, यह बिल्कुल गलत सूचना है। यह सड़क बिल्कुल जर्जर है, पूरा इसका गिट्टी उड़ा हुआ है और इस पर कोई काम मैटिनेंस का नहीं हुआ है। इसलिए हमारा पूछना है कि क्या जो गलत सूचना दी गयी है, माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे? महोदय, दूसरा है कि यह जो सड़क है, यह दो प्रखण्ड को जोड़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और यह जो बीच का क्षेत्र है, विभाग के द्वारा कहा गया है कि इस बीच के क्षेत्र में कटाव हो गया है और हम लोग इसका प्राक्कलन तैयार कर रहे हैं, तो यह पांच साल से विभाग कह रहा है, तो अभी तक नहीं होने के कारण इस सड़क का औचित्य समाप्त हो गया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इसका प्राक्कलन तैयार करके क्या माननीय मंत्री इसी वित्तीय वर्ष में जल्द-से-जल्द इसका काम करवा देंगे? महोदय, ये दोनों पूरक मेरे हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान जारी)

अपने-अपने स्थान पर जाइये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम दिखवा लेते हैं और इनकी चिंता जायज है। हम दिखवाकर प्राथमिकता के आधार पर उसको करवाने का कार्य करेंगे।

श्री आलोक रंजन : महोदय, इसकी जांच भी करवा दीजिए, गलत ओपीआरएमसी में करा रहे हैं। महोदय, जितना जल्द हो सके इसको करवा दीजिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : करा देंगे।

श्री आलोक रंजन : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या-1108, श्री विद्या सागर केशरी(क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : उत्तर मिला न आपको ?

श्री विद्या सागर केशरी : जी उत्तर मिला हुआ है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें बार-बार विभाग के द्वारा बताया जाता है कि यह पथीय पुल, गोपालपुर और मझुवा के बीच में 1.83 कि0मी0 दूरी पर पैदल पुल अप स्ट्रीम पर अवस्थित है, दूसरी ओर बताया जा रहा है कि 0.21 कि0मी0 की दूरी पर एक पथीय सेतु है। दोनों ही सेतु बहुत दूरी पर हैं और जहां हम पुल के निर्माण के लिए बात कर रहे हैं, वहां चचरी का पुल लगा हुआ है। दस-दस गांव के हजारों लोगों का आवागमन होता है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

(व्यवधान जारी)

श्री विद्या सागर केशरी : मैं विभाग से पूछना चाहता हूं कि क्या विभाग ने जो नियम बनाया है कि 2 कि0मी0 के रेडियस के अंतराल के बाद ही हम पुल का निर्माण कर सकते हैं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : गलत काम मत करिये, बिल्कुल मत करिये। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री विद्या सागर केशरी : ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नियम में परिवर्तन करते हुए, क्या उस स्थान पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि अभी जो नियम है उसके हिसाब से दो पुलों के बीच की दूरी 2.4 कि0मी0 न्यूनतम होनी चाहिए। जिस स्थल का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसके डाऊन स्ट्रीम में 1.5 कि0मी0 से

भी कम और अप स्ट्रीम में तो पौने कि0मी0 से भी कम पर एक पुल है और यहां जो माननीय सदस्य कह रहे थे, इसको हम फिर से दिखवा लेते हैं।

अध्यक्ष : फिर से दिखवा लेंगे। बैठिये।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक और करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : बोलिये।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम आठ साल से इस पुल के लिए, काफी समय से इसकी डिमांड करते आ रहे हैं। एक बार जांच करवा लीजिए कि वस्तुस्थिति वहां पर क्या है।

अध्यक्ष : बैठिये। माननीय मंत्री जी ने तो कहा है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उसके लिए अलग से लिखकर दे देंगे, करा देंगे।

अध्यक्ष : अलग से लिखकर दे दीजिए, जांच करा देंगे।

श्री विद्या सागर केशरी : धन्यवाद।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1109, श्री छोटे लाल राय(क्षेत्र सं0-121, परसा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1110, श्री चन्द्रहास चौपाल(क्षेत्र सं0-72, सिंहेश्वर(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1111, श्रीमती अरूणा देवी(क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि भगवतपुर बसावट को एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रश्नाधीन पथ का सर्वे विभागीय APP द्वारा किया गया है, जिसका Survey Id-66293 एवं लम्बाई 1.50 कि0मी0 है।

समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, उत्तर मिला हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि समय-सीमा बता दें कि कब तक बनेगा?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : समीक्षा करके जल्द ही इसकी कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष : जल्द ही किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-1112, श्री महा नंद सिंह(क्षेत्र सं0-214, अरवल)
 (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1113, श्री अरूण शंकर प्रसाद(क्षेत्र सं0-33, खजौली)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1-स्वीकारात्मक है ।

2-अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल राज्य योजना अन्तर्गत Construction of High Level Bridge at Birdipur के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लम्बाई 72.20 मीटर है । पुल का प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-4718, दिनांक-01.09.2023 द्वारा प्राप्त है । प्राक्कलन में प्रावधानित स्थल पर ही पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । उक्त स्थल ही पुल निर्माण हेतु चयनित स्थल है ।

प्रश्नाधीन स्थल विंदिपुर में PMGSY-III योजना अन्तर्गत Construction of RCC Box Bridge At Ch 4+100 k.m. in T18-SH 75 DKBM Road To Birdipur via Karhara Ghat (Package No.-BR21P3R2) के नाम से पुल स्वीकृत है, जिसकी लम्बाई 53.20 मीटर है, जो निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

3- उपर्युक्त खण्ड '2' में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में दो पुल की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है । एक है Construction of High Level Bridge at Birdipur के नाम से स्वीकृत है जिसकी लम्बाई 72.20 मीटर है । इसमें कहा गया है कि पुल का प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-4718..

अध्यक्ष : अरूण जी, पूरक पूछिये न, उत्तर क्यों पढ़ रहे हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, इसके संबंध में कहा गया है कि यह चयनित स्थल पर बन रहा है, लेकिन जो दूसरा पुल है वह 53.20 मीटर लम्बाई का, यह निविदा की प्रक्रिया में है ।

अध्यक्ष : यह तो लिखा हुआ है, पूरक पूछिये न ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : निविदा की प्रक्रिया से कब तक इसको कराकर माननीय मंत्री जी उस पुल का निर्माण करा देना चाहते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, निविदा की प्रक्रिया भी एक प्रक्रिया है। उसके बाद उसमें क्या उत्तर होगा? जल्द ही होगा।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1114, श्री देवेश कान्त सिंह(क्षेत्र सं0-111, गोरेयाकोठी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1115, श्री सउद आलम(क्षेत्र सं0-53, ठाकुरगंज)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्री सउद आलम : महोदय, जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हुआ है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरे मामले की समीक्षा करने की बात कही है उन्होंने, बैठ जाइये।

श्री सउद आलम : सर, कब तक इसका जवाब आयेगा?

अध्यक्ष : सउद साहब, ट्रांसफर हुआ है। बैठ जाइये आप।

तारांकित प्रश्न संख्या-1116, श्री पंकज कुमार मिश्र(क्षेत्र सं0-29, रुन्नीसैदपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1117, श्रीमती निशा सिंह(क्षेत्र सं0-66, प्राणपुर)

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, जवाब अनुत्तरित है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र में केलावाड़ी पंचायत के अन्तर्गत इमामनगर शिव मंदिर टोला एवं गौरीपुर पंचायत अन्तर्गत..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : शाईनगर दियारा महानंदा नदी के बायें किनारे पर अवस्थित है।

प्रश्नगत स्थल रहुआ दीवानगंज महानंदा नदी के बाये तट के किलोमीटर 30 से 31

के बीच अवस्थित है। इमामनगर शिव मंदिर टोला तटबंध के नदी भाग में अवस्थित है एवं बसावट की नदी के किनारे से दूरी लगभग 7 मीटर है, जबकि शाईनगर दियारा तटबंध के दूसरी तरफ कंट्री साइड में अवस्थित है। 2023 में किनारे का क्षरण होने पर इमामनगर शिव मंदिर टोला में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था, जबकि शाईनगर दियारा में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

(क्रमशः)

टर्न-6/धिरेन्द्र/28.02.2024

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये जो प्रश्नगत दोनों स्थल हैं, जो आगामी बाढ़ का समय है उसमें हमलोग सतत निगरानी रखेंगे। जहाँ आवश्यक होगी बाढ़ सुरक्षात्मक और संघर्षात्मक दोनों तरह के कार्य करा कर इसको सुरक्षित रखेंगे।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती निशा सिंह जी।

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि साईनगर दियारा क्षेत्र में आपने बोला कि वहाँ आवश्यकता नहीं है मगर वहाँ पर काफी जरूरत है। अगर संघर्षात्मक कार्य नहीं किया जायेगा तो वह गाँव चला जायेगा। दोनों जगहों की यह स्थिति है कि दोनों तरफ गाँव बसा हुआ है और दोनों का दोनों गाँव चला जायेगा तो हमारा आपसे निवेदन है कि बोल्डर पाईलिंग के लिए आप कुछ व्यवस्था कर दीजिये।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसको हम जरूर दिखवा लेंगे और हमने यह नहीं कहा है कि अभी आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि वर्ष 2023 में यानी पिछले वर्ष इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी और अगर इस बार आवश्यकता है तो हमलोग करायेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-1118 (श्री देवेश कान्त सिंह, क्षेत्र संख्या-111, गोरेयाकोठी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-'एफ'1119 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1120 (श्री रामवृक्ष सदा, क्षेत्र संख्या-148, अलौली (अ०जा०))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1121 (श्री भाई वीरेन्द, क्षेत्र संख्या-187, मनेर)

(माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-1122 (श्री राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्र संख्या-208, सासाराम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1123 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

(माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-1124 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) के क्षेत्राधीन है। मुंगेर-खगड़िया रेल-सह-सड़क पुल हेतु अधिगृहित भूमि किसी धर्म विशेष समुदाय को नहीं दिया गया है। पुल के संपर्क पथ में काला पत्थर के पास कोई भी लिंक पथ प्रस्तावित नहीं है।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है लेकिन उक्त स्थल पर कच्चा लिंक पथ बना हुआ है और शहर के काफी करीब होने के कारण वहाँ बहुत से लोग आवागमन करते हैं। क्या सरकार उसको बनाने का विचार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत योजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) के क्षेत्राधीन है। मुंगेर-खगड़िया रेल-सह-सड़क पुल हेतु अधिगृहित भूमि किसी धर्म विशेष समुदाय को नहीं दिया गया है। पुल के संपर्क पथ में काला पत्थर के पास कोई भी लिंक पथ प्रस्तावित नहीं है।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर एक धर्म विशेष के लोग, जो सरकारी एन०एच०ए०आई० की जमीन है, उसमें बोर्ड लगाकर अपना निजी गेट लगा लिये हैं तो क्या सरकार उसकी जाँच कर हटाने का विचार रखती है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हम इसकी जाँच करवा लेते हैं ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1125 (श्री तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्र संख्या-63, कटिहार)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से की जाती है । राज्य में अवस्थित आई०टी०आई० का नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पोर्टल पर दर्ज होने के संबंध में संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पत्रांक-96, दिनांक-16 फरवरी, 2024 द्वारा सूचित किया गया है कि सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा पर सभी सरकारी आई०टी०आई० एवं वैसे निजी आई०टी०आई० संस्थान जिनका एन०सी०बी०टी० (National Council for Vocational Training) के पोर्टल पर प्रदर्शित ग्रेडिंग क्रमांक 5.0 अथवा 5.0 से अधिक हो, को जोड़ने का अनुमोदन प्राप्त है । वर्तमान में राज्य के 47 सरकारी तथा निजी क्षेत्र के 273 संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदन की सम्यक जाँचोपरांत नियमानुसार योजना के लाभ हेतु एम०एन०एस०बी०वाई० पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है । इस दिशा में अनुवर्ती कार्यवाही भी की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जितने भी बिहार में हैं, उन्हें National Council for Vocational Training के पोर्टल पर जो ग्रेडिंग 5.0 या 5.0 से अधिक की बाध्यता है, तभी छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा, तो क्या सरकार ऐसे सभी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी, उन्हें ग्रेडिंग का जो 5.0 क्रमांक है, उसके लिए बाध्य करने का विचार रखती है, जिससे सभी आई०टी०आई० के छात्रों को उसका लाभ मिल सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्पष्ट तौर पर विभाग ने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से की जाती है। राज्य में अवस्थित आईटीआई का नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पोर्टल पर दर्ज होने के संबंध में संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग-सह-नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पत्रांक-96, दिनांक-16.02.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा पर सभी सरकारी आईटीआई एवं वैसे निजी आईटीआई संस्थान जिनका एनसीबीटी (National Council for Vocational Training) के पोर्टल पर प्रदर्शित ग्रेडिंग क्रमांक 5.0 अथवा 5.0 से अधिक हो, को जोड़ने का अनुमोदन प्राप्त है। वर्तमान में राज्य के 47 सरकारी तथा निजी क्षेत्र के 273 संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदन की सम्यक जाँचोपरांत नियमानुसार योजना के लाभ हेतु एमएनएसएसबीवाई पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है। इस दिशा में अनुवर्ती कार्यवाही भी की जा रही है। इसका समाधान जल्द-से-जल्द किया जायेगा।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ, अभी इन्होंने, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा है, वह पूर्व से अंकित है तारांकित प्रश्न की पुस्तिका में....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मेरा इतना ही प्रश्न के द्वारा आपके माध्यम से जानना है कि सरकार जितने भी आईटीआई हैं, चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी हो, उसमें छात्रों ने जो एडमिशन लिया है, उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ सभी छात्रों को मिले, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्पष्ट किया गया कि एनसीबीटी (National Council for Vocational Training) के पोर्टल पर जो प्रदर्शित ग्रेडिंग है, उसके अनुसार विभाग कार्य करेगा।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय....

अध्यक्ष : आपका ही प्रश्न है, सभी लोग बैठ जाइये। समीक्षा की बात जब उन्होंने की है तो फिर उसके बाद क्या सवाल खड़ा होता है।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय.....

अध्यक्ष : पूरे मामले को दिखवाने की बात माननीय मंत्री महोदय ने किया तो कहाँ से बनता है मामला ? बैठिये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मेरा अब प्रश्न नहीं है, मेरा आग्रह है कि श्रम संसाधन विभाग शिक्षा विभाग के साथ बातचीत कर सभी आई०टी०आई० में एडमिटेड छात्रों को यह लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई करे । यह मेरा आग्रह है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1126 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र संख्या-207, चेनारी(अ०जा०))
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1127 (श्री मुरारी मोहन झा, क्षेत्र संख्या-86, केवटी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखण्ड जिनके जीर्णोद्धार/मरम्मती की आवश्यकता है, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिये कृत संकल्पित है । अबतक 82 प्रखण्डों में 'प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही, 101 प्रखण्डों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र' का भी निर्माण कराया जा रहा है । शेष जीर्ण-शीर्ण, जर्जर प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । माननीय सदस्य मुरारी जी ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, पूरक में हम यह जानना चाहते हैं कि काफी दिनों से हमारा केवटी प्रखण्ड का मुख्यालय काफी जर्जर अवस्था में है । सरकार एक समय-सीमा तय करे कि कब तक यह प्रखण्ड मुख्यालय बन कर तैयार हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर माननीय सदस्य के प्रश्न का निदान किया जायेगा। महोदय, यह स्पष्ट रूप से किया गया है तो माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान जारी)

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा बताया जाय मंत्री महोदय कि कब तक हो जायेगा?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, प्राथमिकता प्रायोरिटी में होता है तो माननीय सदस्य को मालूम है....

अध्यक्ष : प्राथमिकता प्रायोरिटी में नहीं होता है, प्राथमिकता का अंग्रेजी प्रायोरिटी होता है।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, प्राथमिकता जो तय की गयी है, उसके हिसाब से माननीय सदस्य की जो चिंता है वह दूर की जायेगी।

अध्यक्ष : आपकी चिंता दूर की जायेगी। बैठिये।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, धन्यवाद।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

तारांकित प्रश्न संख्या-'जी'1128 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र संख्या-217, घोसी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1129 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र संख्या-239, वारिसलीगंज)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह प्रश्न जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हो गया है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जल संसाधन विभाग उत्तर के साथ है। कुल मिलाकर माननीय सदस्या इसमें जो नहर में गाद जमा है उसकी सफाई चाहती हैं तो हमलोग इसको खरीफ 2024 मतलब अगला जो पटवन सीजन आने वाला है, उसके पहले हमलोग गाद की सफाई करवा देंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सात निश्चय-2 के तहत हम हर छेत तक सिंचाई का पानी पहुँचायेंगे, उसके तहत प्राथमिकता में हमलोगों ने इस योजना को शामिल कर लिया है।

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें।

टर्न-7/संगीता/28.02.2024

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथासमय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सप्तराट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)” तथा “विनियोग लेखे” को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परन्तुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष, बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241 (1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 01 अप्रैल, 2024 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किये जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद् से क्रमशः चार, छः एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद् सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, लोक लेखा समिति।

श्री तारकिशोर प्रसाद (सभापति, लोक लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या-708, 709 एवं 710 की एक-एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, निवेदन समिति।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (सभापति, निवेदन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 211 के तहत निवेदन समिति के खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 13वां प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 14वां प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित 15वां प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित 16वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक.

.

(व्यवधान)

अभी इसको पढ़ लेता हूँ। कार्य स्थगन हो जाए उसके बाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 फरवरी, 2024 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय...

श्री अजीत शर्मा : अकेले हैं सर, मेरा इंपोर्टेट चीज है सर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनको पढ़ने दीजिए । पढ़ने दीजिए न ।

श्री अजीत शर्मा : हम पढ़ लेते हैं उसके बाद...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनको कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनको पढ़ने दीजिए । पहले आप ही से बोलवायेंगे इनके बाद ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, “राज्य में पैक्स सदस्यों की सदस्यता पर उत्पन्न संकट पर चर्चा हो ।”

उल्लेखनीय है कि राज्य में पैक्स के सदस्य बनाये जाने की प्रक्रिया जो सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम-7(4) में वर्णित है उसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक करार दे दिया गया है जिसके कारण बी0डी0ओ0, डी0सी0ओ0 और सहायक निबंधक के माध्यम से पैक्स के सदस्य बने लाखों सदस्यों की सदस्यता पर खतरा उपस्थित हो गया है । इससे बहुत सारे पैक्स चेयरमैन भी प्रभावित होंगे । सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाने से पैक्स का काम काज बाधित होगा । अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में पैक्स सदस्यों की सदस्यता पर उत्पन्न संकट पर चर्चा करायी जाय ।

अध्यक्ष : सत्यदेव राम जी क्या सूचना है, बोलिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरे सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र संख्या-107 दरौली में पूरे नीलगायों का आतंक मचा हुआ है और किसान जो फसल लगाता है, हरा सब्जी लगाता है, वह नहीं होने दे रही है, वह सारे के सारे खा जाती है या नुकसान कर देती है और इससे किसान तबाह है इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं और खासकर भाजपा के माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि उनकी जो परिभाषा है नीलगाय की, वह नीलगाय वनगाय में बदले ताकि लोग उसको भगायें और नहीं तो सरकार उसकी व्यवस्था करे...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री सत्यदेव राम : ताकि किसानों का फसल बच सके ।

अध्यक्ष : इसके लिए सरकार के नियम पहले से तय हैं । बैठिए, सरकार ने सुना आपका ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल की सूचनाएं

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सर्विदाकर्मियों की सेवा 07.08.2018 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा 60 वर्ष करने का अनुशंसा किया गया । ग्राम कचहरी सचिव 2007 से नियोजित हैं, जिनका नियमितीकरण नहीं किया गया है । मैं ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा विस्तार 60 वर्ष तक करने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, लोहिया स्वच्छता कर्मी एवं पर्यवेक्षक रसोइया, टोला सेवकों की मांग को पूरा किया जाय । साथ ही पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए वार्ड सदस्यों को उनके अधिकारों को वापस दिया जाय ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत बर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल का 330 एकड़ खाली जमीन जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है । अतः मैं सरकार से उक्त जमीन पर नए उद्योग लगाने एवं मिल के 471 कर्मियों के बकाए वेतन का भुगतान कराने की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/सुरज/28.02.2024

डॉ निकंकी हेम्ब्राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 1967 में सिंचाई विभाग द्वारा चांदन डैम निर्माण होने से 272 एकड़ भूमि से गांव विस्थापित

कर मौजा-कोडाटीकर, प्रखंड बौसी में बसाया लेकिन किसी के नाम से भूमि आवंटित नहीं किया गया ।

सरकार से किसानों के नाम से भूमि आवंटित कराने की मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के खोखसाहा-देसरी पथ पर शाहपुर चौक से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हुये भूस्वर बांध तक वर्षों से सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ।

सरकार से उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के अनेकों पंचायतों में चनपटिया एवं कुमारबाग विद्युत सब स्टेशन से अधिक दूरी होने के कारण विद्युत सप्लाई में कठिनाई होती है ।

अतः लोहियरिया में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरसिंद्धि विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भादा स्थित परशुरामपुर, अरेराज पथ में 43RD सुईस पुल चौक से मेन कैनाल बांध होते हुये दामोदृति यादव टोला तक पांच पंचायतों की जनता के हित में बांध पर सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, करपी के रौशन रविदास को चौहान शर्मा, अविनाश कुमार ने गोली मार दी । वहीं कलेर के भगवानपुर के अजय यादव को 24.02.2024 को गोली मारकर हत्या कर दी थी । इधर गुण्डों/अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है। तत्काल गिरफ्तार करने, घायल को बेहतर इलाज की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, अमर यादव द्वारा मुझे (Twitter)-X पर जान से मारने की धमकी दी गयी है । इस संबंध में मैंने पुलिस उपाधीक्षक, किशनगंज से शिकायत की है, जिसका काण्ड सं0-37/23 है ।

मैं सरकार से अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अपने लिये अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड-मोहनपुर का उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेलारपुर का भवन निर्माण हेतु दिनांक-02.02.2022 को ही शिलान्यास हो चुका है किन्तु संवेदक द्वारा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।

अतएव अति महत्वपूर्ण लोक हित में भवन का निर्माण हेतु सदन से मांग करती हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के निजी विद्यालयों में रि-एडमिशन के नाम पर हर वर्ष हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। रि-एडमिशन के नाम पर जारी धन उगाही पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग करता हूं।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधान सभा अंतर्गत मंझौलिया पंचायत के मंझौलिया मध्य विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मध्य विद्यालय मंझौलिया संपूर्ण पंचायत के बच्चों के पठन-पाठन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः जर्जर अवस्था कर्कट युक्त छत सहित विद्यालय का नव-निर्माण जनहित में करावें।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर में निबंधन कार्यालय नहीं होने से आमजन को काफी कठिनाई होती है।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि रामनगर में निबंधन कार्यालय जनहित में खोला जाए।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड में दुबहा से बरियापुर जाने वाली सड़क तीन पंचायतों को जोड़ती है, जो जर्जर स्थिति में है। इस वजह से आमजनों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मैं उक्त सड़क की मरम्मति कार्य कराने की मांग करता हूं।

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की कंडिका-09 में अंकित रिक्त भूमि पर कर अधिरोपित प्रावधान अंतर्गत अबतक लागू कर को जनहित में माफ करते हुये पूर्व की भाँति रिक्त भूमि पर कर मुक्त करते हुये नियमावली में पुनः संशोधन करने हेतु मांग करता हूं।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत सुककी मुशहरनियां से परसा होते बहुअरवा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क बहुत ही जर्जर है, आम जनता को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है।

परिहार प्रखंड के सुककी मुशहरनियां से परसा होते बहुअरवा सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूं।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत रत्न अबुल कलाम आजाद की आदम कद प्रतिमा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर पश्चिम चंपारण में स्थापित करने की सदन से मैं मांग करता हूं।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधान सभा अंतर्गत प्रखंड-काराकाट में बुढ़वल त्रिदण्डी पथ वाया-देनरी घरवासडीह का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। इस पथ में पी0एम0जी0एस0वाई0 से लगभग एक किलोमीटर निर्मित पथ जिसका जीर्णोद्धार नहीं होने से आना-जाना बाधित है, शेष पथ की मरम्मति कार्य कराने संबंधी सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर अंतर्गत पश्चिमी सरेया पंचायत एवं पकड़िया बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अत्यंत जर्जर हो जाने से डॉक्टर व कर्मियों का वहां बैठना तक मुश्किल हो गया है।

अतः मैं सदन से उक्त दोनों केन्द्रों का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा अंतर्गत स्व0 यमुना भगत स्टेडियम, बरौनी में खिलाड़ियों के ठहरने के लिये कमरों का निर्माण, जिम की व्यवस्था, फ्लड लाईट, चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कुपाड़ी पंचायत के ग्राम-बसगड़ा वार्ड नं0-7 में टेमन स्मारक से पाही होते हुये कदवा जाने वाली सड़क में सौरा तथा परवाहा नदी में पुल का निर्माण करने तथा 7 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर अंतर्गत पीरपेंती के बाराहाट-ईशीपुर में सड़क निर्माण सह चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित है। अतिक्रमणकारी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना भी चाहते हैं।

मैं सरकार से मापी कराकर पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग करता हूं।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत ट्रामा सेंटर में अपग्रेड नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में भवन निर्माण एवं समुचित इलाज हेतु चिकित्सकों की व्यवस्था करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी।

टर्न-9/राहुल/28.02.2024

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, मेरा सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : मैंने दो-दो बार सदन में कहा है कि सूचनाएं केवल 50-50 शब्दों में होनी चाहिए और बार-बार कहने के बाद भी आज दो माननीय सदस्यों एक आपकी और एक श्री राम सिंह जी की सूचनाएं 50 शब्द से अधिक हैं इसलिए वे अमान्य की गयी हैं ।

श्री मो0 कामरान : महोदय, हमारा भी है ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण के बाद बचे हुए शून्य काल लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री अजय कुमार सिंह, श्री विजय शंकर दूबे एवं पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पनबिजली के विकास के क्षेत्र में राज्य निरंतर प्रयासरत है । सम्प्रति सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर एवं कोशी पूर्वी नहर पर संस्थापित कुल 13 जल विद्युत परियोजना, जिनकी क्षमता 54.30 मेगावाट है, उन्हें उत्पादन योग्य बना लिया गया है एवं नहरों के जलश्राव की उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है । इन परियोजनाओं से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 37.75 मि0यू० विद्युत का उत्पादन हुआ है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है । राज्य में 11 लघु जल विद्युत परियोजना निर्माणरत हैं । इसके निर्माण के उपरांत राज्य को अतिरिक्त 9.3 मेगावाट का विद्युत सृजन हो सकेगा । इन निर्माणरत जल विद्युत परियोजनाओं में से औरंगाबाद जिले में अवस्थित निर्माणाधीन तेजपुरा (2X750 किलोवाट) तथा रोहतास जिला अवस्थित अमेठी जल विद्युत परियोजना (1X500 किलोवाट) के निर्माण कार्य पूर्ण कर शीघ्र विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है । बिहार की नदियों में अकूत ऊर्जा भंडार है इसके आलोक में राज्य सरकार के द्वारा नदियों पर भी पनबिजली घर बनाने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार ने उक्त दिशा में सार्थक पहल की है एवं नदियों के सर्वेक्षण के काम को अहमियत दी गयी । इसी कड़ी में गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानन्दा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वे कराया गया है । नदियों के प्रारंभिक सर्वेक्षण का परिणाम बहुत उत्साहवर्द्धक रहा है । सर्वेक्षण के आधार पर निम्न स्थलों पर जल विद्युत क्षमता को चिह्नित किया गया है : गंडक नदी पर बेतिया-80 मेगावाट, बगहा-50

मेगावाट, बूढ़ी गंडक नदी पर रघुनाथपुर लघु जल विद्युत परियोजना-2X1.0 मेगावाट, सिकराना, पूर्वी चंपारण, बड़गोविन्दपुर लघु जल विद्युत परियोजना-2X2.2 मेगावाट, बूढ़ी गंडक, पूर्वी चंपारण और महानंदा नदी पर वसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, परमान, अररिया, सेनापुर लघु जल विद्युत परियोजना, महानन्दा, पूर्णिया, दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना, महानन्दा, किशनगंज और रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना, मेची, किशनगंज । इन चिन्हित स्थानों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जो छोटे-छोटे यूनिट हैं 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 8 मेगावाट । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृष्णा नदी के किनारे राजीव गांधी पनबिजली योजना है जिसे मैंने देखा है और उसमें नदी के गेट से 250 फीट नीचे 15 फीट डायमीटर के पाईप से पानी ले जाकर के बिजली का उत्पादन होता है । वहां बिजली उत्पादन की 6 यूनिट हैं और प्रतियूनिट 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है मतलब कुल 900 मेगावाट । बरसात के दिनों में तिस्ता नदी में पानी भरा रहता है तो 900 मेगावाट और सामान्य दिनों में 5 यूनिट काम करते हैं तो 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस परियोजना को भी दिखवा लें और हमारे यहां नदियों का जाल है हम तो 5-6 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और पनबिजली योजना से जो बिजली का उत्पादन होता है । वहां के इंजीनियर ने बतलाया कि 37 पैसा प्रति यूनिट बिजली उत्पादन में लगता है और यहां से इंजीनियर की टीम भेजी जाय या माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर उसको देख लें...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कहां का कह रहे हैं, किस जगह का बता रहे हैं ।

श्री अजय कुमार सिंह : यह तेलंगाना और आंध्रा के बीच में कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के उत्तरी किनारे पर । मैं वहां सुरंग से गया था और सुरंग से जाने के बाद 200-250 फीट नीचे चार तल्ला नीचे ले गया और वहां पर दिखाया तो उसको दिखवा लिया जाय । यह एक-दो मेगावाट का तो कोई मतलब ही नहीं है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो सूचना है उसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग से जानना चाहता हूं सर्वव्यापी है कि बिहार विद्युत उत्पादन के मामले में जितनी हमारी डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है । बाहर से बिजली लेकर के विद्युत आपूर्ति की जाती है । महोदय, विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए पनबिजली पैदा करने के लिए राज्य

सरकार की ओर से भी प्रयास किये गये हैं। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पनबिजली योजना लगाने की संभावना केवल दक्षिणी बिहार में ही नहीं है, उत्तरी बिहार की नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू नदी आदि बहुत सारी नदियां हैं जहां संभावना है और उस संभावना को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के सारण डिवीजन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण के जो हिस्से हैं, जो गंडक के किनारे हैं वहां भी पनबिजली पैदा की जा सकती है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार पनबिजली योजना की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने और पनबिजली योजना की स्थापना के संदर्भ में सरकार विचार करना चाहती है या नहीं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य की जो राय है उसके आधार पर समीक्षा करके कार्यान्वित करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई जायेगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय,...

अध्यक्ष : अब हो गया। सरकार का जवाब सकारात्मक है। आप दोनों की बात से सरकार सहमत है।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर इस योजना पर कार्य किया गया तो जो हम लोग रोज-रोज कहते हैं कि नागरिकों को महंगी बिजली दी जाती है...

अध्यक्ष : राज्य के हित में आपकी बात है। शालिनी जी बोलिये।

श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती मीना कुमारी एवं श्रीमती शीला कुमारी स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2113, दिनांक-27.03.2023 के आलोक में हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजा का भुगतान जारी है परंतु दिनांक-01.04.2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार का दिशा-निर्देश नहीं रहने के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज जिलों सहित पूरे राज्य में हजारों परिवारों के मुआवजे का भुगतान लंबित है। हिट एंड रन के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Compensation to victim of hit&run motor accident scheme, 2022 में

निहित प्रावधान/प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है तथा हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी मुआवजा भुगतान करने हेतु आदेश परित है ।

अतः दिनांक-01.04.2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

टर्न-10/ मुकुल/28.02.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बिहार विधान सभा श्रीमती शालिनी मिश्रा जी के द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार ने संज्ञान लिया है । उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्या द्वारा उठाये गये विषय के संबंध में मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सभी प्रकार के मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील है । विशेष रूप से हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में उच्च प्राथमिकता के तौर पर परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक-01.04.2022 के पूर्व हिट एण्ड रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Solatium Scheme लागू था । उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा हेतु दावा की जांच के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-दावा जांच पदाधिकारी के रूप में एवं दावा की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी-दावा निर्धारण आयुक्त के रूप में सक्षम प्राधिकार घोषित थे ।

उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा हेतु वाहन दुर्घटना की तिथि से छः माह के अंदर आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी से समक्ष समर्पित किये जाने का प्रावधान था, परन्तु विलम्ब की स्थिति में औचित्य के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अधिकतम 12 माह तक की अवधि के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किये जा सकते थे । दिनांक-01.04.2022 से प्रभावी नई योजना के कारण पुरानी योजना के अंतर्गत कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है जिनमें 12 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के कारण मुआवजा का दावा अस्वीकृत किया गया है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या विभाग के पास आंकड़े हैं, दिनांक-01.04.2022 के पहले के कितने मामले अभी तक लंबित हैं और उनमें क्या प्रक्रिया चल रही है ? माननीय मंत्री जी के जवाब में कोई आंकड़ा नहीं आया है कि कितने मामले लंबित हैं और कितने दिनों में ये दे देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मोटर दुर्घटना मुआवजा संबंधित जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबा है, अगर आपका आदेश होगा तो मैं इसे पढ़ दूँगा । पूर्व में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-4886 एवं 4887, दिनांक-11.08.2021 के आलोक में मृतक के पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपया एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिवारों को 50 हजार रुपया मुआवजा भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 एन0ओ0-2183/2022 (संदीप राज बनाम बिहार राज्य तथा अन्य) एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक-21.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना सं0-4886 एवं 4887, दिनांक-11.08.2021 के तहत मुआवजा भुगतान का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है । वर्तमान में नन हिट एण्ड रन से संबंधित मामले में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया है । महोदय, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-7997, दिनांक-20.10.2023 द्वारा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के तहत कुल 07 प्रमंडल यथा पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा प्रमंडल हेतु एक-एक तथा भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल (मुख्यालय भागलपुर) के लिए संयुक्त रूप से एक तथा पूर्णियां एवं सहरसा प्रमंडल (मुख्यालय पूर्णियां) के लिए संयुक्त रूप से एक मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है । मृतक/गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिजनों/पीड़ितों के द्वारा बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजा भुगतान हेतु दावा दायर किये जा रहे हैं, जिसकी नियमित सुनवाई अध्यक्ष, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा की जा रही है एवं पीड़ितों को देनदारों (बीमित वाहन की स्थिति में बीमा कंपनी तथा अबीमित वाहन की स्थिति में वाहन स्वामी) से मुआवजा का भुगतान कराया जा रहा है । इसका अनुश्रवण परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से लगातार किया जा रहा है । वर्तमान में हिट एण्ड रन से संबंधित मामले में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया है । महोदय, हिट एण्ड रन के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-163 (अ), दिनांक-25.02.2022 अधिसूचित है, जो दिनांक-01.04.

2022 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के तहत पीड़ितों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किये जाने का प्रावधान है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच कर अनुशंसा के साथ आवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित किये जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार मुआवजा भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत कर साधारण बीमा परिषद् (जी0आई0सी0) को भेजा जाता है, जिसके आलोक में 15 दिनों के अंदर जी0आई0सी0 द्वारा मृतक के पीड़ितों को 2 लाख रुपया एवं घायलों को 50 हजार रुपया मुआवजा राशि का भुगतान सीधे पीड़ितों के खाते में किये जाने का प्रावधान है। जी0आई0सी0 के द्वारा ससमय मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से स्मार पत्र भी दिया जाता है। त्वरित गति से मुआवजा भुगतान पीड़ितों को करने हेतु परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से लगातार अनुश्रवण भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या इससे संतुष्ट होंगी और इससे पूरा सदन भी संतुष्ट होगा।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो छोटा सा सवाल पूछा था उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी के द्वारा नहीं आया, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने डिटेल में इस बात को बताई, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूं। दिनांक-01.04.2022 से लेकर अभी तक कुल हिट एण्ड रन के केस राज्य में 8977 आये हैं जिनमें से जी0आई0सी0 के द्वारा भुगतान सिर्फ 1751 केसिज का किया गया है, जो सिर्फ 20 प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जी0आई0सी0 को ये कैसे प्रेसराइज करेंगे, मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में जी0आई0सी0 से मंगाते हैं कुछ डिले होता है। लेकिन यह काफी डिले हो गया है लगभग 2 साल हो गये हैं और उनमें से केवल 20 प्रतिशत का ही भुगतान हुआ है दिनांक-01.04.2022 के बाद से। जी0आई0सी0 के साथ बिहार सरकार क्या करना चाहती है ताकि जी0आई0सी0 जल्दी से जल्दी दे। दूसरा मेरा सवाल आंकड़े से ही है कि हमारे पास जो आवेदन आये हैं उसका सिर्फ 46 प्रतिशत ही अभी तक बिहार सरकार ने जी0आई0सी0 को भेजा है और उस 46 प्रतिशत में से जी0आई0सी0 ने केवल 38 प्रतिशत का ही भुगतान अभी तक किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा अंतिम सवाल यही है कि अपने परिवहन विभाग में ये क्या बदलाव लाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो हिट एण्ड रन केस के जो विकटीम हैं उनको जल्द से जल्द भुगतान के लिए जी0आई0सी0 को भेजा जाय और जी0आई0सी0 वहां से दे।

मेरा एक और सवाल है, मैंने थोड़ा स्टडी की थी कि हिट एण्ड रन के सबसे ज्यादा केसिज रिलीजियस प्लेसेज/धार्मिक स्थलों के आस-पास होते हैं। पिछले साल 2295 केसिज हुए हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं का और 40 प्रतिशत पुरुषों का डेथ हुआ है तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है हाइवे पेट्रोल फोर्स लगाया है, क्या माननीय मंत्री जी हाइवे पेट्रोल फोर्स को रिलीजियस प्लेसेज के आस-पास और बढ़ाना चाहेंगे ताकि हिट एण्ड केसिज धार्मिक स्थलों के आस-पास कम हो। क्योंकि यह जो नम्बर है यह देश में सबसे ज्यादा है रिलीजियस प्लेसेज के आस-पास एक्सीडेंट का।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से माननीय सदस्या के ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है और सरकार ने स्वीकार किया है कि कुछ मामलों को अस्वीकृत भी किया गया है और सरकार नियमों से बंधी हुई है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई चल रही है और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कोई भी इस मामले में छुटेंगे नहीं, इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ की जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, माननीय सदस्या का आग्रह केवल एक है कि जो पैंडिंग मामले हैं उनका निष्पादन जल्दी से जल्दी हो जाय।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो न्यायाधिकरण बना हुआ है, वहां पर इसकी समीक्षा के कई स्तरों पर हमने बात भी की है, विभाग भी समीक्षा करता है, अनुमंडल करता है, जिला करता है, परिवहन विभाग और राज्य मुख्यालय से भी इसकी समीक्षा होती है। उसकी हम समीक्षा करा लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

टर्न-11/यानपति/28.02.2024

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र, अपनी सूचना को पढ़ें।

श्री भाई वीरेन्द्र, श्री गोपाल रविदास एवं श्री राजेश कुमार सिंह से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पटना, आरा एवं छपरा जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों से सोन एवं गंगा नदी बहती है। जिससे उजला एवं पीला बालू का खनन किया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा लाखों की लागत से नाव का निर्माण कर बालू का कारोबार किया जाता है। यह कारोबार लाखों मजदूरों के जीविकोपार्जन का साधन है। परंतु सरकार द्वारा बालू खनन पर रोक के साथ विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा

आये दिन नावों को जला दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय नाव मालिकों को आर्थिक क्षति के साथ-साथ मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति है।

अतः बालू का चालान निर्गत कर बालू खनन चालू कराने एवं नावों का निबंधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-645, दिनांक-28.02.2024 समाहर्ता भोजपुर के पत्रांक-982, दिनांक-27.02.2024 एवं समाहर्ता सारण के पत्रांक-323, दिनांक-27.02.2024 से प्रतिवेदित है कि बिहार खनिज नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम 2 (v) में वाहन को परिभाषित किया हुआ है। उक्त नियम के अनुसार वाहन से अभिप्रेत है कि किसी मोड़ या सवारी की सुविधा जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता हो और इसमें आंतरिक उपाय व्यक्ति, जानवर, गाड़ी, नाव शामिल है। स्पष्ट है कि वैध स्रोत से निर्बंधित नाव द्वारा परिवहन चालान के साथ बालू परिवहन पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान में पटना जिला अंतर्गत कुल 15 बालू घाटों से पर्यावरणीय स्वीकृति, वैधानिक अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत बालू का खनन, प्रेषण किया जा रहा है। इसी प्रकार भोजपुर जिलांतर्गत वर्तमान में कुल 26 बालू घाटों से बालू का खनन, प्रेषण किया जा रहा है। सारण जिलांतर्गत तीन बालू घाटों का पर्यावरणीय संस्वीकृति, वैधानिक अनापत्ति प्राप्त हो चुका है। बंदोबस्ती की राशि एवं अन्य करों के भुगतान उपरांत बालू का खनन, प्रेषण किया जायेगा। जिला प्रशासन एवं जिला खनन कार्यालय द्वारा नदी क्षेत्र से नावों के माध्यम से बालू का अवैध खनन, परिवहन न हो इस हेतु सतत निगरानी, पेट्रोलिंग की जा रही है। बिहार खनिज नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम 56 में अवैध खनन, परिवहन में संलिप्त वाहनों से समन शुल्क खनिज मूल्य की वसूली किये जाने का प्रावधान है। साथ ही एक माह के अंदर समन शुल्क खनिज मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर समाहर्ता द्वारा संबंधित वाहन को राज्यसात किये जाने का भी प्रावधान है। जिला प्रशासन, जिला खनिज कार्यालय द्वारा सोन एवं गंगा नदी में नावों के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध पटना, भोजपुर एवं सारण में अब तक कृत कार्रवाई निम्नलिखित है महोदय। पटना जिला में दिनांक-21.12.2023 को पुलिस प्रशासन द्वारा अमनाबाद पटलौतिया गांव में सोन नदी में अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी करते हुए 40 बड़ी नावों एवं सम्मिलित 20 लोगों को पकड़ा गया। फलस्वरूप प्रशासन द्वारा जब्त वाहनों को सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उक्त संदर्भ में गिरफ्तार 20 व्यक्तियों, जब्त 40 नावों एवं नावों के मालिकों तथा 40-50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बिहार

थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसकी कांड संख्या 1272/2023, दिनांक- 22. 12.2023 है। भोजपुर जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक जिला खनन कार्यालय भोजपुर एवं जिला प्रशासन द्वारा नावों से अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 23 प्राथमिकी, 54 गिरफ्तारियां एवं 77 नाव जब्त किया गया है। इसी प्रकार से सारण जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक जिला खनन कार्यालय सारण एवं जिला प्रशासन द्वारा नावों से अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो प्राथमिकी एवं 36 नाव जब्त किया गया है।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमने दो ही बात कही है कि सोन और गंगा के टट पर लोग बसे हुए हैं जहां एक फसल होता है और वहां लाल बालू और उजला बालू का कारोबार है। मैं सरकार से एक ही आग्रह कर रहा हूं कि नाव का रजिस्ट्रेशन करा दे और चालान की व्यवस्था करवा दे। यह लंबा-चौड़ा भाषण देने से क्या फायदा है। गरीबों के पेट का सवाल है, उसके रोजी-रोटी का सवाल है इसलिए हम आसन से भी आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी उनलोगों का रजिस्ट्रेशन, नाव का करा दें और चालान की व्यवस्था करा दें, अवैध रूप से नहीं, वैध रूप से ताकि उसका जीविकोपार्जन चल सके।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया, कितने खनन चालू हैं घाटों के, कितने के जो रजिस्टर्ड हैं या जिनके लोग हैं, उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अवैध खनन करनेवाले और अवैध लोगों पर, बालू माफियाओं पर हो रहा है और मैं बता दूं कि अभी निर्णय लिये हैं हमलोग महोदय कि कमांड कंट्रोल बनाने जा रहे हैं जो सभी खनन के, बालू के खदानों का पूरा हेड ऑफिस से निगरानी होगी और खनन करनेवाले बालू माफियाओं पर भी जो अवैध नाव से खनन करके और इस तरह से बिहार के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर दबिश लगाया जायेगा। पूर्व से जो कार्यरत कंट्रोल रूम है उसको और नई टेक्नोलॉजी से हमलोग व्यवस्थित कर रहे हैं और कमांड कंट्रोल की व्यवस्था होने पर कई समस्याओं का समाधान हो जायेगा जो आप कर रहे हैं। बालू माफिया हो या उसके साथ मिला हुआ कोई भ्रष्ट पदाधिकारी हो, दोनों पर कमांडिंग सरकार की होगी और जो खेल चल रहा था वह खेल बंद होगा, एक नया बदलाव होगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने बहुत विस्तृत जवाब दिया है, सरकार की नीति है अवैध बालू खनन को रोकने की। आज तो माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण नाव के रजिस्ट्रेशन पर है, जो नाव चलता है। स्वाभाविक है आपने पहले अपने जवाब में कहा है कि नाव के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आपके यहां है। माननीय सदस्य का

केवल इतना ही कहना है कि नाव के निबंधन की व्यवस्था करा दीजिए यह उनका आग्रह है और चालान का। जो वैध है उसकी बात हो रही है, अवैध की तो कोई बात ही नहीं है। अवैध के बारे में छूट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जो वैध है उसकी बात की जा रही है।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जो उठाये हैं सारण, पटना और भोजपुर का, हजारों मजदूर हैं, यही जीविका उनकी है और उस इलाके में बहुत ही कम उपज है और इसी पर निर्भर हैं और पूरा बंद कर दिया गया है, अवैध के नाम पर उनकी जो नावें पकड़ी जा रही हैं, जला दिया जा रहा है तो इतनी लागत लगाते हैं मजदूर कमाने के लिये उनको पूरा नुकसान करा दिया गया है, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमने पहले भी बताया है जवाब सुनते नहीं हैं, कोई भी वैध स्रोत से अनिर्बंधित न हो, जो भी आवेदन दिये हैं अगर जो लंबित है तो आप उपलब्ध कराएं हम उसकी समीक्षा करके देख लेंगे।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, जो रजिस्टर्ड नाव है वह चालान ले और वैध रूप से चलाने का काम करे।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : किस घाट का, कहाँ का यह मामला है, आप डीटेल देंगे तो हम दिखवा लेंगे, पार्टिकुलर बता दें कि कहाँ का है।

श्री भाई वीरेन्द्र : ठीक है।

अध्यक्ष : अब शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

श्री अरूण कुमार सिंह ।

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड के रामपुर भेड़ियाही पंचायत में श्रीसिया ओ०पी० जो कि वर्ष 1995-2005 तक चली किसी कारणवश बंद हो गया। वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं लोगों की सुरक्षा हेतु मैं फिर से उस ओ०पी० की स्थापना की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्यभर के कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्ण कालिक कर्मी घोषित करने के साथ नियत वेतन में संशोधन करते हुए नियोजित शिक्षकों के समान वेतन एवं भत्ता देने की मांग करता हूँ।

टर्न-12/अंजली/28.02.2024

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज की परिसम्पत्तियों की देख-रेख आज भी अंग्रेजी जमाने के कानून “कोर्ट ऑफ वार्ड्स” के तहत संचालित है जिससे बेतिया, बगहा, मोतिहारी जैसे अनेक शहरों में आवासित लाखों परिवारों को उनकी आवासीय जमीन की कानूनी मान्यता नहीं है।

अतः उक्त कानून को निरस्त करने की मांग करता हूँ।

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, सहरसा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या-10, 20, 28 एवं 30 में निवास करने वाले महादलित परिवार जो रेलवे लाइन तथा सड़क के किनारे नालों के ऊपर बसे हैं।

अतः महादलित परिवार के आवास हेतु भूमि उपलब्ध करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से वैशाली जिला के अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र राजापाकर अंतर्गत सड़क संपर्कता से छूटे हुये सभी बसावटों में यथाशीघ्र पहुँच पथ निर्माण की मांग सरकार से करती हूँ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के कमला पश्चिमी तटबंध पर सुककी स्लूईस गेट चार वर्ष पूर्व धवस्त हो जाने के कारण किसानों की सिंचाई बाधित है।

अतः शीघ्र उक्त धवस्त स्लूईस गेट का पुनर्निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधान सभा के फारबिसगंज नगर परिषद् के रेलवे स्टेशन चौक से बड़ा शिवालय, ट्रेनिंग स्कूल चौक होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर पोखर तक जाने वाली अतिमहत्वपूर्ण सड़क काफी जर्जर है, सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं दोनों ओर नाला निर्माण की मांग सदन से करता हूँ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सौर-बाजार निवासी कमलेश्वरी साह सेवानिवृत्त शिक्षक को दिनांक-22.01.2014 रात्रि में अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया, जिसका काण्ड संख्या-71/24 है।

अतः घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा एवं सुरक्षा की मांग करता हूँ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, चार सौ से अधिक बसों के परिचालन वाले बस पड़ाव पूर्णिया से प्रतिवर्ष जिला-प्रशासन को 86 लाख रूपये की वसूली होती है परन्तु यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। यात्री शेड एवं शौचालय की गंदगी अवर्णनीय है। मैं उक्त बस पड़ाव को आधुनिक सुविधायुक्त बनाने की मांग करता हूँ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना के तहत हर घर नल का जल परन्तु अभी तक मैरवा नगर पंचायत में जल मीनार से एक भी घर में जलापूर्ति नहीं, सच में नगर पंचायत मैरवा के प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने की मांग करता हूँ।

श्री मो0 कामरान : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिले के रोह प्रखंड के मरुई पंचायत के म0वि0 सुन्दरा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय सुन्दरा बनाने की मांग करता हूँ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आग नगर निगम और भोजपुर जिला परिषद् सहित बिहार राज्य के सभी निकायों में अनुकम्पा के आधार पर बहाली चालू करवाने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली में इन्टर पास की अनिवार्यता समाप्त करने तथा कबीर अंत्येष्टि की राशि निर्वाचित स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा पुनः चालू करवाने की मांग करता हूँ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के फेनहारा प्रखंड का कार्यालय पिछले 25 वर्षों से सामुदायिक भवन में चल रहा है। मैं जनहित में फेनहारा प्रखंड के कार्यालय भवन का निर्माण करवाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के केहुनियां पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं0-08 केवट टोला में भोपत कुंडी धार पर अतिशीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों कोढ़ा एवं फलका में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मती कार्य चल रहा है जिसमें संवेदक द्वारा मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है।

अतएव कार्य की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच की मांग सरकार से करती हूँ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर थाना में थाना कांड संख्या-15/2024, दिनांक-02.02.2024 दर्ज किया गया है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय एजेंसी के प्रधानाध्यापक, राजी कुमार साह सहित अन्य पर जिसमें थाना प्रभारी खोदाबंदपुर एवं डी0एस0पी0 की मिलीभगत के कारण आजतक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करावें।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहलगांव विधान सभा अंतर्गत गोराडीह, सन्हौला एवं कहलगांव प्रखंड में स्टेडियम नहीं है ।

अतः सरकार से गोराडीह प्रखंड के बिरनौध में उच्च विद्यालय के आसपास बिहार सरकार की भूमि पर, सनोखर उच्च विद्यालय मैदान पर एवं कहलगांव स्थित SSV कॉलेज मैदान पर स्टेडियम निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र संख्या-107 दरौली में डिग्री कॉलेज नहीं है । लड़के-लड़कियों को इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई में डिग्री कॉलेज नहीं होने से कठिनाई होती है ।

अतः दरौली विधान सभा में डिग्री कॉलेज को स्वीकृत करने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गृहरक्षावाहिनी पुलिस जिला नवगछिया में भर्ती हेतु 275 सीट के लिए भौतिक परीक्षा 2022 में हुआ । 169 को प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया । 106 की अभी तक बहाली नहीं की गई है ।

अतः रिक्त पदों पर बहाली हेतु विभाग को आवश्यक निर्देश देने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्रीमती रशिम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल में विद्युत आपूर्ति रामनगर पावर ग्रिड होती है । हर वर्ष बरसात में लगभग 4 महीने ग्रिड में खराबी आने से आपूर्ति बाधित हो जाती है ।

मैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु नरकटियागंज में 132/133 KB पावर सब स्टेशन स्थापित करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/आजाद/28.02.2024

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विधायी कार्य लिये जायेंगे।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024”

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव

विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री।

श्री सम्राट् चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 पर विचार हो।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 पर विचार हो।”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं इसे खंडशः लेता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ अनुसूची इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ नाम इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो । ”

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर कतिपय माननीय सदस्यों के द्वारा अपने विचार रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई है । जो भी सदस्य अपनी इच्छा व्यक्त किये हैं, वह अलग-अलग दलों से सम्बद्ध हैं । आज की बैठक की अवधि 4.00 बजे तक ही निर्धारित है । ऐसे में सभी माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी-अपनी बातों को रख सकते हैं । फिर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर भी होना है ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना विचार रखें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विनियोग विधेयक संख्या-2 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, सरकार के सभी विभागों की मांगें पास हो चुकी हैं और अब उसे खर्च करने का अधिकार इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार हासिल करने जा रही है। लोकतंत्र संख्या बल का खेल है, जिसके पक्ष में बहुमत है वह पारित हो जायेगा लेकिन यहां जो दर्ज हो रही है, उस हर कार्यवाही की समीक्षा भविष्य में इतिहास के रूप में करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार पारित बजट को खर्च करे लेकिन आने वाले समय में जब भी बजट प्रस्तुत करे तो उसकी प्राथमिकताओं पर विचार कने की जरूरत है और खर्च करने में सदैव अनावश्यक खर्चों में कटौती कर योजनाओं में उसे व्यय करे। बिहार बजट मैनुअल - 36 में प्रावधान किया गया है कि अधिक अनुमान की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जानी चाहिए लेकिन राज्य सरकार में हजारों करोड़ रूपये प्रत्येक वर्ष सरेंडर होते हैं यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट जो 2024-25 का रखा गया है और जिस पर आज विनियोग विधेयक संख्या-2 आया है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ही विभागों के बारे में कहूँगा, चूँकि समय कम है, क्योंकि समयाभाव है। आप देखेंगे कि जहां कृषि विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 2781.99 करोड़ था, ठीक 2024-25 में भी 2782 करोड़ ही है।

महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 1093.01 करोड़ था, वहीं 2024-25 में 1089.94 करोड़ ही है।

महोदय, सहकारिता विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 969.24 करोड़ था जो 2024-25 में 962.42 करोड़ ही है।

महोदय, लघु जल संसाधन विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 826.87 करोड़ था, वह 2024-25 में भी 826.87 करोड़ ही है।

महोदय, जल संसाधन विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 3212.63 करोड़ था जो 2024-25 में भी 3212.63 करोड़ ही है।

महोदय, पंचायती राज विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 1294.04 करोड़ था वह 2024-25 में 1105.05 करोड़ ही है।

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 14986.45 करोड़ था वह 2024-25 में 13733.06 करोड़ ही है।

महोदय, नगर विकास विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 4045.10 करोड़ था, निश्चित तौर पर 2024-25 में 6066.17 करोड़ है, जो एक नगर विकास के लिए अच्छी बात है।

महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 517.82 करोड़ था वह 2024-25 में भी 517.82 करोड़ ही है।

महोदय, उद्योग विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 1545 करोड़ था वह 2024-25 में 1732 करोड़ है जिसे मैं अच्छी पहल मानता हूँ।

महोदय, गन्ना उद्योग विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 100 करोड़ था वह 2024-25 में भी 100 करोड़ ही है।

महोदय, समाज कल्याण विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 8136.74 करोड़ था वह 2024-25 में 8148.13 करोड़ है। समाज कल्याण जैसे विभाग के लिए यह बढ़ोत्तरी मात्र ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न है।

महोदय, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 1674.63 करोड़ था जो 2024-25 में 1576.53 करोड़ ही है।

महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के योजना बजट का आकार 2023-24 में 1485.53 करोड़ था वह घट कर 2024-25 में 1442.13 करोड़ ही रह गया है।

महोदय, विभाग में किस प्रकार से बजट बन रहा है जरा बानगी देखा जाय। लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं गन्ना उद्योग विभाग के 2023-24 और 2024-25 के योजना बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

महोदय, कृषि विभाग की भी बानगी देखी जाय। 2023-24 में बजट 2781 करोड़ 99 लाख था और 2024-25 में 2782 करोड़ है। कितने का अंतर है यह सोचा जाय।

महोदय, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का योजना बजट 2024-25 में 2023-24 की तुलना में घटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आखिर सरकार जो दावा करती है कि वह अत्यंत पिछड़ों की शुभचिंतक सरकार है, वह कैसे है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है? कैसे सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शुभचिंतक है तब उसके लिए निर्धारित योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है।

महोदय, मैंने इसीलिए विनियोग विधेयक पर अपनी बातें रखना आवश्यक समझा और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में खर्चों को सुविचारित करे।

महोदय, मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए योजनाओं में कटौती की है उसे अगले अनुपूरक में बढ़ाये और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को योजना बजट में समुचित हिस्सेदारी प्रदान करे।

महोदय, मैं इतनी ही बात कह कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने समय दिया महोदय, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जो परिस्थिति है, जो समय है, हम दो-तीन बातों की ओर अपनी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे।

..... कमशः

टर्न-14/शंभु/28.02.24

श्री समीर कुमार महासेठ : कमशः जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अंग्रेज जमाने में हमलोग के दादा नगर निगम में वहां पहला चेयरमैन, आजादी के टाइम में हमारे दादा हुआ करते थे और उस समय से लेकर के आज की परिस्थिति में जो बजट में हमने तारीफ किया कि नगर विकास के तरफ थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन आप ही बता दीजिए महोदय कि जो स्थितियां हैं आज तक पूरे बिहार के एक भी निकाय का 141 जगह पर हम रेफरेंस देना चाहते हैं- जो भारत सरकार का है अगर किसी भी तरीके का तो वहां काम दिखता भी है। वहां तो किसी भी ढंग से जो इस्टेब्लीशमेंट है उसका किसी भी प्रकार से पूरे बिहार की ये स्थिति है। हम इतना नहीं कहेंगे हम अपने मधुबनी की तरफ का कहना चाहते हैं जहां पर लोग मेयर में जीत जाते हैं और जीतने के बाद जनता की जो अपेक्षा है उसपर खड़ा नहीं उतरते हैं तो लोगों के मन में नगर विकास के बारे में है चूंकि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा अर्बन एरिया से आते हैं, लेकिन अर्बन एरिया की एक भी सड़क सही नहीं है। पानी का जो अभी हाहाकार चल रहा है अभी स्टार्ट हो गया है मधुबनी में हम दरभंगा की बात नहीं करेंगे दूसरी जगह का लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जल का प्रबंधन, सड़क का प्रबंधन और किसी भी तरह का जो नगर के क्षेत्र में- अब क्या होता है गांव से लोग शहर में

आते हैं वहां भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। आप बता दीजिए कि हमारा डिपार्टमेंट आखिर क्या काम कर रहा है यह समझ से बाहर है। हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है यह जानने की आवश्यकता है। हमारे यहां एक भी सड़क जो पी0डब्लू0डी0 की सड़क को कन्वर्ट करने के लिए दिया गया यह पिछले दो साल से लंबित है। एक तो सरकार ने डिसिजन लिया कि 7 मीटर से ज्यादा जो सड़क होगी वह हम- चूंकि इस्टेब्लीशमेंट का कुछ है ही नहीं कहीं भी नगर निकाय में न प्रोपर इंजीनियर है, न अच्छा काम होता है, बदनामी हो रही है कि नगर में शहर में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। उसके पीछे हम निगेटिव में नहीं जा रहे हैं हम पाजीटिव के तरफ कहना चाहते हैं कि आपका परपस है कि हरेक नगर की जो स्थिति है अगर नगर विकास का अच्छा काम होगा तो लोग शहर से अपने गांव के तरफ भी, ग्रामीण स्तर में भी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन पंचायती राज का हम यहां पर देखते हैं, यहां पर इस्टीमेट कमिटी भी है और दूसरे स्टेट में भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की इस्टीमेट कमिटी है। दो तरह का रखा जाता है भारत सरकार का जो भी पैसा आता है एक जगह बिहार में खर्चा नहीं हो रहा है, पंचायती राज में भी स्थापित नहीं हो रहे हैं वहां भी ठगा हुआ महसूस करते हैं और नगर वाला में तो दो ही पार्ट होता है या तो नगर होता है या ग्रामीण होता है तो दोनों पार्ट के मूल्यांकन करने के बाद हमें लग रहा है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। उड़ीसा जैसा प्रदेश हमसे नीचे था, लेकिन आज हमसे उपर जा रहा है क्या कारण है? हम नहीं कहना चाहते हैं कि कौन कितने दिनों से सरकार में है इसका कोई मतलब नहीं है। जनता के प्रति अगर जवाबदेही है तो अंग्रेज जमाना में जब हमलोग इस ढंग से करते थे कि अंग्रेज भी अगर कोई गलती करता था तो उसको सलाहियत देते थे और इसके बाद अपने ही जमाने में हमलोग आ रहे हैं तो हमलोग अपने ही जमाने में कमज़ोर हो गये हैं। जब जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्तर पर अपनी बात ब्लॉक में रखना चाहता है तो वहां पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, थाना में रखा जाता है तो नहीं सुनी जाती है, जिला स्तर पर रखा जाता है नहीं सुनी जाती है, अनुमंडल स्तर पर रखा जाता है तो नहीं सुनी जाती है और जब कोई पूछा जाता है जनता से तो हरेक जनता एक ही जवाब देती है कि बहुत ज्यादा इल्लीगल इक्सपेन्सेज हो रहे हैं।

(व्यवधान)

हम बता रहे हैं अरे मधुबनी के रहनेवाले हैं अंग्रेज जमाने से हम आपको थोड़े देख रहे हैं।

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष जी, ये जो बात कर रहे हैं मधुबनी का दर्द रहता तो टोकते नहीं, बिहार का दर्द रहता तो नहीं टोकते । हम इनके समय में नहीं टोकते हैं लेकिन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गुस्सा नहीं करिये बोलिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा यह कहना है मेरा अपील है सरकार से कि आप आगे बढ़ें और जनता के बीच जो जाने का है जिस ढंग से अगर आनेवाले समय में मधुबनी में लोग बोलते हैं एक भी शहर में पार्क नहीं है, पार्क दिखाइये । एक भी शहर में मार्निंग वाकर्स का कहीं नहीं है । हमारे जिला की आबादी 50 लाख है हुजूर और एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है । एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी पार्क नहीं है तो नगर वाले को क्या चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, फिर हम 17 महीना बनाम 17 साल की बात करने लगेंगे तब जाकर इनको संतुष्टि होगी ।

अध्यक्ष : शांति से बैठिए बोलने दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जनता के बीच तो लोग गये हैं जनता सबसे बड़ी चीज है । हम बाद में उनको इंगित करेंगे कि 2 से आप इतने पार्लियामेंट में गये हैं फिर ऐसी स्थिति मत कीजिए कि फिर निगेटिव में आप जाइयेगा । यह बात मत करिये हम जनता के लिए आपके बीच खड़े हैं अन्यथा हमको बोलने का कोई हक नहीं है, हम सच्चाई के लिए बोलते हैं ।

अध्यक्ष : अब संक्षेप कीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हम सच्चाई बोलना चाहें तो ये लोग मेरी बातों को दबाना चाहते हैं।

अध्यक्ष : कोई नहीं दबायेगा आपकी बात, समाप्त कीजिए अब ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हम खुला चैलेंज करते हैं कि आप आइये हम खुला चैलेंज ग्रामीण स्तर भी देंगे और शहर स्तर पर भी देंगे, लेकिन आपकी बात कह रहे हैं हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, पूरे शहर की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब कन्कलूड कीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : और जो लड़ाई लड़ी गयी पंचायती राज का निश्चित तौर पर उस पंचायती राज में हमने उस समय भी मुख्यमंत्री जी थे 2003 में हमलोग बिहार विधान परिषद् में आये थे और उन्होंने उस समय कहा था । जातिगत गणना की

बात उस समय भी उठी थी । उन्होंने उठकर कहा था कि हम निश्चित तौर पर जब समय आयेगा तो जातिगत गणना करायेंगे, लेकिन क्या कारण है कि देश में उस समय जातिगत गणना हुई थी उस समय कौन प्रधानमंत्री थे कि उस जातिगत गणना को दबाकर रखे, क्यों दबाकर रखे यह बात जानने की आवश्यकता है । आज भी है हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर ये पता चल गया कि जातिगत गणना में कितने लोग गरीब हैं तो सरकार का दायित्व बनता है उस गरीबी रेखा से लोगों को उठाने का और जब हम उठायेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात करेंगे और 17 महीना बनाम 17 साल का इन्होंने याद दिलाया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री सुदामा प्रसाद । सुदामा जी, आपको संक्षेप में अपनी बात कहनी है ।

श्री सुदामा प्रसाद : सर, समय कितना देंगे ?

अध्यक्ष : संक्षेप में दो तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आभार आपने मुझे बोलने का मौका दिया और भाकपा माले के सचेतक कॉमरेड अरूण सिंह का भी धन्यवाद । सर, ये खजाने की चाभी मांग रहे हैं । हुजूर, चाभी मांग रहे हैं कि चाभी दे दिया जाय और हम जानते हैं कि चाभी नहीं भी मिलेगा तो ये हथौड़ा मारकर के ताला तोड़कर खजाना लूट लेंगे । मतलब किस लिये दिया जाय खजाना, खजाने की चाभी किस लिये । अभी 2022, 7 जनवरी को शाहाबाद रेंज के माननीय विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक की- जल जीवन हरियाली, शाराबबन्दी, हर घर नल का जल योजनाओं की समीक्षा हुई हमने कहा कि वो रिपोर्ट सभी प्रधान सचिवों की सभी योजना 90 परसेंट से ऊपर पूरा है । हमने कहा कि योजना तो पूरा है हुजूर लेकिन पानी कहीं नहीं चल रहा है, एक भी घर में पानी नहीं चल रहा है । गांव की गलियों को कोर दिया गया है, बनी बनायी गलियों को और पानी नहीं चल रहा है और सरकार 30 रूपया महीना में वसूली भी करेगी तो इस पैसे का हो क्या रहा है सर । अभी हम परसों दिन गये थे सर हमारे भोजपुर जिला में एक सरथुआ है माझी टोला लोगों ने बताया कई घरों को देखा खपड़े घरों को यहां तक कि चिमकी तानकर भी लोग रह रहे हैं । हमारे पूरे जिले में जितने भी माझी टोला हैं समझ लीजिए कि सुअर के खोभार में वे जहां रहते हैं उनके घर में कोई फर्क नहीं है, जाकर देखवा लीजिए, पैसा कहां खर्च हो रहा है । पैसा ये खर्च हो कहां रहा है ? एक भूमिहीन महिला ने कहा उसी समुदाय की कि इस गांव के जो कुछ दबांग लोग हैं वे भूसा रखते हैं इंदिरा आवास बनवाकर के । एक व्यक्ति जिनका तीन इंदिरा आवास ले लिये कि चलिए भूसा रखायेगा, गोइठा रखायेगा, उनका तीन किता पक्का मकान भी है, जॉच

करवायेंगे मंत्री जी । ये पैसा हो क्या रहा है अभी आ रहे हैं हमलोग रात्रि प्रहरियों के यहां से धरना वहां चल रहा है । वे लोग बोले कि हमारे गर्दन पर तलवार लटक रही है जो प्रबंधकारिणी ने प्रहरियों को नियुक्त किया उनको 5 हजार मिल रहा है और सरकार आउटसोर्सिंग से 10 हजार रूपया दे रही है तो ऐसा भेदभाव क्यों ? ये पैसा क्या आउटसोर्सिंग के लिए दिया जाय । किसी को 10 हजार दीजिए किसी को 5 हजार । कंप्यूटर ऑपरेटर से साइन कराइये 25 हजार पर और दीजिए 17 हजार यही खेला चल रहा है ।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित/28.02.2024

(क्रमशः)

श्री सुदामा प्रसाद : हुजूर, आशा कर्मियों को 32 दिन की हड़ताल के बाद उनको मानदेय कर्मी का दर्जा मिला और उनका ढाई हजार रूपया मानदेय सरकार ने तय किया लेकिन वह भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है । महोदय, स्कीम वर्करों पर सरकार पैसा खर्च नहीं करेगी, गांव के आवास विहीन लोगों पर खर्च नहीं करेगी तो कहां खर्च करेगी ? सृजन घोटाले में खर्च करेगी, सृजन घोटाला के लिए इनको पैसा चाहिए । हुजूर, सरकार को जवाबदेही लेनी होगी, सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती । जो महागठबंधन की सरकार में एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ था, इस राज्य के लाखों, नौजवानों के दिमाग में जो एक आशा, उम्मीद जगी थी कि अब नौकरी मिलेगी और हमको बेहतर जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, लेकिन सब पर पानी फेर दिया गया । इसलिए हमलोग इनके पक्ष में नहीं हैं कि इनको खजाने की चाबी दी जाए । ये खजाने की चाबी लेकर के खजाने की लूटपाट करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में और लोकतंत्र की हत्या करेंगे, विधायकों की खरीद-फरोख्त करेंगे, महोदय यही करेंगे । इसलिए हमलोग इसके पक्ष में नहीं हैं ।

महोदय, अंतिम बात किसान लोग हैं । किसानों को आपने क्या मदद की? पूरे धान की कटनी शुरू हुई और धान जाने लगा छत्तीसगढ़ । इसलिए कि वहां की सरकार ने बोनस दिया हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, ये जब मुख्यमंत्री थे इन्होंने 300/- रुपये बोनस दिया था । हुजूर, कभी बिहार में बोनस नहीं मिला और जो 2183/- रुपया सरकारी खरीद रेट है, 1920-21...

अध्यक्ष : सुदामा जी, कोई हुजूर नहीं है । माननीय हो सकते हैं, हुजूर नहीं है । आप तो सर्वहारा की बात करने वाले लोग हैं, हुजूर क्यों बोलते हैं? सब एक समान हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उर्दू भाषा में हुजूर को महोदय कहा जाता है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, हमलोग तो इज्जत करेंगे । ठीक है, हम यह कह रहे हैं कि किसानों पर सरकार खर्च नहीं करेगी ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री सुदामा प्रसाद : सर, यह धान खरीद हुई । धान की क्या खरीद हुई है ? नहीं खरीद हुई है। कागज पर धान की खरीद हुई । कागज पर धान की कुटाई हो रही है । महोदय, किसानों की जो लागत है वह लागत 3000/- रुपये प्रति क्विंटल है और 2183 का धान । महोदय, 2022 तक ही सरकार, केन्द्र सरकार मोदी जी कि किसानों की आमदनी बढ़ा रही थी, डबल कर देंगे मतलब दुगुना । अगर किसान आधे दाम पर धान बेचेंगे और दुगुना दाम पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी ? हमलोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं जो कदवन जलाशय में सरकार काम लगवा दें । हमेशा इस संबंध में जब भी ध्यानाकर्षण आता है, कोई तारांकित प्रश्न आता है।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : तब दिखाया जाता है कि ये तो झारखंड विरोध कर रहा है, उत्तर प्रदेश विरोध कर रहा है । हम यह कह रहे हैं कि अगर सरकार उसको पूरा करवा दें तो हम समझते हैं कि वे आठ जिले जो सोन नहरी इलाकों के जिले हैं । पूरे बिहार को अनाज की सप्लाई करेंगे और सरकार जल्द से जल्द कदवन जलाशय की योजना में काम लगावें और सोन नहर का आधुनिकीकरण करें ताकि किसानों को प्रचुर पानी मिलें । नहर के निचले हिस्से तक पानी जाये । आपका आभार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री जीतन राम मांझी जी । आपको संक्षेप में कहना है । मान्यवर, संक्षेप में कहने की तो आपको आदत भी रही है, आप तो गागर में सागर भर देते हैं ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, हम लोग संक्षेप में नहीं बोलते हैं, हमलोग विस्तृत बोलते हैं और तथ्यपरक बात बोलते हैं ।

अध्यक्ष : गागर में सागर भर दीजिए, आप तो इसमें माहिर है ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अपने पहले उद्बोधन में आपसे हमने अनुरोध किया था कि हमारी पार्टी छोटी है और स्वाभाविक है कि समय थोड़ा कम दिया जाता है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी होता है चाहे छोटी पार्टी रहे, चाहे बड़ी पार्टी रहे । महोदय, आपने ऐसा स्वीकार किया था कि कुछ समय ज्यादा मिलेगा । इसलिए ज्यादा समय की अपेक्षा करते हुए हम अपनी बात कहना चाहते हैं और वह है बिहार विनियोग

(संख्या-2), विधेयक, 2024 के समर्थन में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

महोदय, जैसा अभी हमारे साथियों ने कहा योजनाएं हमने पास कर दी, पैसा दे दिया, तिजोरी में बंद कर दिया गया है, यदि चाबी हमको नहीं मिलेगी तो फिर कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। 1980 से सौभाग्यवश इस विधान सभा में रहने का मुझे तजुर्बा है। हम जानते हैं जिस समय हमलोग शुरू में आये थे उस समय देखा था हजारों में 24 हजार, 25 हजार करोड़ रुपये की हमारी योजना हुआ करती थी और आज आप देख रहे हैं कि 2 लाख 67-68 हजार या 78 हजार करोड़ की योजना है तो इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ खर्च होगी। आज जन कल्याण में काम हो रहा है। आज हर जगह चाहे पुल-पुलिया हों, सड़क का मामला हों, सड़क पर बार-बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं।

हमने भी देखा है कि जब हम किशनगंज जाते थे, इन्वार्ज मिनिस्टर के रूप में जाते थे तो दो दिन लगता था लेकिन अब एक दिन में जाते हैं और एक ही दिन में चले आते हैं। यह तो बिहार का सौभाग्य है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो खर्च कैसे होगा। बिजली का जहाँ तक सवाल है आज कोई नहीं कह सकता है कि आज बिजली कम से कम 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली मिलती है। हमारे गांव, हमारे शहर में जहाँ सब-स्टेशन है 24 घंटा बिजली मिलती है, हुजूर। इसलिए आखिर यह पैसा कहाँ से आयेगा अगर नहीं देंगे तो इसलिए यह जो विनियोग विधेयक, 2024 आया है हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

हुजूर, पहला सुझाव यह है कि गया आप जानते हैं, गया एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ फल्गु नदी प्रवाहित होती है, फल्गु नदी दो नदी से आगे आकर फल्गु कहलाती है एक निरंजना नदी और एक मोहाना नदी। महोदय, उसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है कि गंगा नदी के पानी को फल्गु नदी में ले जाने का प्रयास हुआ है और पानी जाता भी है कुछ अंश तक। लेकिन वह जल प्रवाहित धारा नहीं है जिसके चलते दिक्कत होती है। हुजूर, हमारा सजेशन है कि गया जिला अंतर्गत गया शहर के नजदीक फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यह नदी बरसाती नदी है, रबड़ डैम बनाकर गंगा का पानी जमा रखने का प्रयास किया गया है। यह पर्याप्त नहीं है, मेरी अनुशंसा है कि गया शहर के नजदीक बीथो बियर बनाकर फल्गु यानी निरंजना नदी के दोनों तट पर बारहमासा सड़क निर्माण किया जाए एवं फल्गु नदी में पानी के लिए सोन नदी का इन्द्रपुरी बैराज के नजदीक से नहर निकालकर घोड़ाघाट के नजदीक पानी छोड़ देने से फल्गु नदी में बारहमास पानी रहेगा, जिससे पितृपक्ष में

आने वाले लोगों को और विदेशी पर्यटकों के लिए साल भर आकर्षण का केन्द्र बना रहेगा और फायदा रहेगा, हुजूर। यह बड़ी ऐसी योजना है जो बिहार के लिए हम कहते हैं, हमारा दावा है कि अगर यह किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है, 50 परसेंट पर्यटक लोग वहां पर गया में देंगे इसलिए हमने इस पर ध्यान आकर्षित करने की बात की है। कुछ और बातें हैं जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं कि मोहनपुर प्रखण्ड में एक सिंचाई योजना का शिलान्यास 20-25 वर्ष पहले हुआ था, स्वर्गीय चन्द्रशेखर बाबू ने उक्त योजना का, जिसको मोहना योजना कहा जाता था लेकिन झारखंड बन जाने से झारखंड वालों की उस पर कोई न कोई आपत्ति है इसलिए इस योजना का नाम बरण्डी बियर योजना बना दिया गया है। इस योजना की भी लगभग स्वीकृति हो चुकी है लेकिन क्रियान्वित नहीं हो रही है इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम चार-पांच दर्जन गांवों को जो खासकर सुखाड़ गांव हैं मोहनपुर में, बाराचट्टी में और उधर रजौली वगैरह इन सब में उसको सुनिश्चित करने के लिए यह बरण्डी बियर योजना है उसको क्रियान्वित किया जाए। इस योजना की स्वीकृति के लिए शीघ्र और शीघ्र बिहार सरकार काम करें, यह मेरी मांग है।

हुजूर, गया जिला के इमामगंज प्रखण्ड अंतर्गत कोठी पईन है, जो 13 किलोमीटर लम्बी है। नदी में बालू के निष्कासन से हुजूर ऐसा हुआ है, पैसा हमको मिला है, काम हो रहा है लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिसका बालू निकाल देने से उस नदी का स्तर नीचे हो गया है, जिसके चलते अगर पानी आता भी है तो नीचे चला जाता है। इसी में कोठी पईन है पहले पानी होता था, इससे दो दर्जन गांव में सिंचाई होती थी लेकिन अब वह पानी बाहर चला जाता है। इसलिए फल्गु नदी में कोठी के नजदीक जो पईन है उसमें बांध बनाकर उसको मोरहर नदी कहा जाता है उसमें गाद है, उसकी सफाई कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि इमामगंज में सिंचाई के दृष्टिकोण से काफी फायदा होगा।

गया जिला के डुमरिया प्रखण्ड में एक रजकेल बांध है। हुजूर, इसकी भी चर्चा हमें याद है जब 1980 में हमलोग आये थे तो हमारे एक साथी श्री रामचन्द्र पासवान आया करते थे, बहुत रजकेल बांध के बारे में बहुत चर्चा करते थे। खुदकिस्मतीवश हमें भी इमामगंज जाने की बात आई है अभी तक उस बांध का निर्माण नहीं हो सका है। इसलिए डुमरिया का, गया जिला का रजकेल बांध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराया जाए।

(क्रमशः)

टर्न-16/अभिनीत/28.02.2024

..क्रमशः..

श्री जीतन राम माँझी : महोदय, इसको शीघ्र पूरा कराया जाय और मैं कहना चाहता हूं कि गया जिला का डुमरिया प्रखंड है जहां लघु जल संसाधन विभाग द्वारा राज बांध का निर्माण 14 करोड़ रुपये से किया जा रहा है लेकिन ऐसा है, इतना पानी उसमें आता है, जो बांध की ऊंचाई है, जितनी ऊंचाई है पानी ऊपर से ही फ्लो कर जायेगा और उसके बीच में जो मिट्टी है उसके चलते भी पानी का जमावट नहीं होता है। उसकी उपयोगिता तब होगी कि कम से कम पांच मीटर ऊंचा किया जाय बांध को और बीच के पानी को हटा दिया जाय, मिट्टी को हटा दिया जाय तब उसकी पूरी उपयोगिता होगी। हुजूर, इसलिए राज बांध के बारे में आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे। महोदय, गया जिलांतर्गत बेला से बलुआ खंदा तक एक सड़क गयी है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। हम जानते हैं हमलोग बच्चा थे, हमारे गांव के बगल से जाती है, तो देखते थे कि ऊंची भर पहनकर लाईन में लगकर लोग जाते थे, आज सड़क है, जीणशीर्ण सड़क है इसलिए हमारा कहना है कि बेला से लेकर बलुआ खंदा तक जो यह सड़क है उसका चौड़ीकरण कर दिया जाय और मरम्मत कर दी जाय तो हम समझते हैं कि राजगीर, बराबर और फिर गया, इन सब जगहों पर तीर्थकों और पर्यटकों को आने में बहुत सुविधा होगी। हुजूर, इसलिए उसकी मरम्मत करने का, बनाने की मांग हम करते हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया।

श्री जीतन राम माँझी : एक मिनट और है। हुजूर, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योजना हो या कोई भी योजना हो इसमें मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आज योजनाएं हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार बनाती है योजना और जब उसके शिलान्यास की बात आती है तो बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इंस्ट्रक्शन है, विभाग के लोगों का भी इंस्ट्रक्शन है कि उसका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री जी यहां से करते हैं लेकिन वहां पर कम-से-कम उपस्थित रहते हैं हमारे विधायक लोग जो कार्य आरंभ करते हैं वह नहीं हो पाता है। हद तो हद है, हम उदाहरण देना चाहते हैं हुजूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चेरकी थाना है, चेरकी थाना का भवन बनाया जा रहा है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा, वहां के थानेदार ने उसका उद्घाटन किया और वहां पर गरिमामय उपस्थिति थी विधायक की ओर उद्घाटनकर्ता कौन थानेदार, सर, यह अच्छी बात नहीं लगती है।

यह अच्छी बात नहीं लगती है, इसलिए सख्त निर्देश जाना चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है और हमारे सभी विधायकों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है, इसलिए प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए हम समझते हैं कि सरकार का कड़ा निर्देश जाना चाहिए कि चाहे जिस प्रकार का उद्घाटन या शिलान्यास हो, मुख्यमंत्री तो यहां से करते ही हैं, विधायकों को उसमें जरूर सम्मिलित रखा जाय ऐसा मैं चाहता हूं। फिर महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या मनरेगा या और योजनाएं होती हैं हुजूर, हम 1980 से विधायक हैं जैसा पहले आपको कहा महोदय, उस समय होता था कि गरीब लोगों को छोटा-छोटा ठीका देने के लिए, दिया जाता था कि साढ़े सात हजार रुपये एडवांस दिया जाता था, तो वे पैसा लेकर काम करते थे। आज एडवांस नहीं दिया जाता है, नेचुरली गरीब तबके लोग मनरेगा में या क्षेत्रीय विकास योजना में काम नहीं करते हैं। सच्चाई यही है कि दूसरे लोग काम करते हैं सिर्फ उससे मजदूरी करवाता है और सारा लाभांश दूसरा ले जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मनरेगा का काम हो तो या क्षेत्रीय विकास योजना का काम हो उसमें मजदूरों को या जो काम करते हैं उसको कम से कम पांच प्रतिशत एडवांस दिया जाय ताकि वह अपना काम कर सके।

दूसरी बात हुजूर, हम कहना चाहते हैं पी०एच०ई०डी० के बारे में, हमारा गांव है महकार, जहां हम रहते हैं, जब हम मुख्यमंत्री थे तो वहां पर एक वाटर सप्लाई योजना स्वीकृत हुई थी। स्वीकृत हुई थी, बन रहा था आज तक पानी वहां नहीं जाता है और खासकर आई०टी०आई० हो, रेसिडेंसियल विद्यालय हो, प्लस टू स्कूल हो उसमें भी पानी नहीं गया है, तो इस तरह की पी०एच०ई०डी० के लोगों की शिथिलता है। इससे हमारी सरकार की बदनामी होती है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका-टाकी मत कीजिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए।

श्री जीतन राम माँझी : हमारी सरकार यह चाहती है कि सबका काम हो, सब जगह जाये लेकिन ऐसी शिथिलता पी०एच०ई०डी० के लोगों की हो कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में पानी जाने में दिक्कत हो रही है तो आगे का क्या हाल होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं हुजूर कि इसको देखा जाना चाहिए। हुजूर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंदिरा आवास या कोई आवास योजना है आज दी जाती है, तीन डेसीमल जमीन दी जा रही थी, अब पांच डेसीमल जमीन की बात कही गयी है, कहीं-कहीं पांच डेसीमल दी जाती है, पांच डेसीमल निश्चित रूप में दी जाय लेकिन जो आज मकान का स्ट्रक्चर है कि एक कमरा बनाकर या दो कमरा

छोटा-छोटा बनाकर दे देते हैं, वह आज गरीब हो सकता है लेकिन सभ्य होने में और गरीब होने में कोई तारतम्य नहीं है, कहने का मेरा मतलब कि जो गरीब है उसके बाल-बच्चे होते हैं, उसके नाती-पोता होते हैं तो एक कोठी से कैसे काम चलेगा, इसलिए आवास जब बनाया जाय तो कम-से-कम तीन कोठी दिया जाय, शौचालय दिया जाय, गौशाला दिया जाय । इसके लिए कम-से-कम पांच लाख रुपये अपने स्तर से या भारत सरकार के केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर दिया जाय तो एक अच्छा मकान बन सकता है । रहने की स्थिति हो सकती है और नहीं तो सीधे पहचान होती है कि यह दलितों का गांव है, यह अति पिछड़ों का गांव है । इसलिए मेरी अनुशंसा है कि पांच लाख रुपये दिये जायं । अभी हाल में हुजूर पुलिस चौकी को थाना में परिणत किया गया है । बहुत अच्छा किया गया है, आवश्यकता थी इसकी, क्योंकि जो चौकी होते थे उसमें काम नहीं होता था, उसको पूर्ण थाना का दर्जा दे दिया गया है । इसलिए सरकार की हम सराहना करते हैं लेकिन बाराचट्टी जो हमारा विधान सभा क्षेत्र है वहां एक मोहनपुर है । मोहनपुर प्रखंड में लगभग 16 या 17 ग्राम पंचायत हैं और वह थाना है लेकिन उसको पूर्ण रूप में थाने का दर्जा नहीं दिया गया, तो हम मांग करना चाहते हैं कि मोहनपुर थाने को भी पूर्ण थाने का दर्जा दिया जाय, यह मांग करते हैं । उसी तरह से हम कहना चाहते हैं कि यह जो गया जिला का इमामगंज विधान सभा है उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र है, डुमरिया से गया मुख्यालय आने में 80-85 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है । अतः मेरी अनुशंसा है कि जब सरकार जिला, प्रखंड, अनुमंडल बनावे तो इमामगंज को निश्चित रूप में जिला का दर्जा दे जिससे कि उग्रवाद ग्रस्त इलाके को सुख और शांति मिल सके, यह हम आपसे मांग करना चाहते हैं । अंतिम में चूंकि समय आपने काफी देने का काम किया है इसके लिए हम बहुत-बहुत अनुग्रहीत हो रहे हैं और कार्यहित तथा जनहित में हम निम्नांकित स्थलों में प्रखंड निर्माण की अनुशंसा करते हैं, वह हैं :-

1. ग्राम मऊ जो टिकारी थाना में पड़ता है ।
2. ग्राम सलैया जो इमामगंज थाना में पड़ता है ।
3. ग्राम केवला है जो मोहनपुर थाना में पड़ता है ।
4. ग्राम तरवाँ है जो वजीरगंज थाना में पड़ता है ।
5. ग्राम महकार है जो खिजरसराय में पड़ता है ।

इन सब जगहों में प्रखंड होने की बहुत जरूरत है । इसलिए हमारा अनुरोध है कि इन जगहों में भी थाना जल्दी-से-जल्दी खुलवाया जाय । हुजूर, एक सड़क है जी.टी. रोड से बोधगया तक, मेन लाइफ लाईन वह था, आज नहीं बहुत

पहले बैलगाड़ियों से चतरा से उधर झारखंड से लोग आते थे । आज वह सड़क जीर्णशीर्ण हो गयी है और उसको बनवाने के लिए वहां पर जन आंदोलन हो रहा है। लोग कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं । वह कम-से-कम 27 से 28 किमी0 रोड है और होता है कि, जी.टी. रोड से बोधगया भाया सरमा, बिन्दा, लाडू, कोसिला तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और निर्माण कराया जाय तथा लाडू के नजदीक में, बिन्दा के नजदीक में और सरमा के नजदीक में पुल भी बनाने की जरूरत है । ऐसा बनता है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी और बहुत लोगों को फायदा होगा..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया । समाप्त कीजिए ।

श्री जीतन राम माँझी : महोदय, सारी बात हो गयी बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन एक-दो बात जो छूट गयी है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब छोड़ दीजिए । अब बहुत हो गया बाकी लोगों को भी न बोलना है । सरकार को भी उत्तर देना है ।

श्री जीतन राम माँझी : उसको मैं दे देता हूं प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा दिया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सुदामा बाबू ने हुजूर बोला तो आपने कहा लेकिन माँझी साहब ने सौ बार हुजूर बोला तो एक बार भी आपने नहीं कहा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बड़ों की बात का जवाब नहीं देते ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है और मैं शुरू करना चाहता हूं कि..

..क्रमशः..

टर्न-17/हेमन्त/28.02.2024

श्री अजय कुमार(क्रमशः) : कल सदन में श्रवण बाबू बोले थे खासकर हम लोगों के बारे में कि धन और धरती बंट के रहेगी, अपना छोड़कर । श्रवण बाबू, आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट कानून हमने नहीं बनाया था, सरकार ने बनाया था । तो आपकी क्या मजबूरी है सरकार की कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास रहते हुए वह जमीन भूमिहीन को नहीं देकर, पैसा खजाना से निकालकर खरीदकर देने की बात आप कर रहे हैं । किसको बचाना चाहती है सरकार ? यह बिहार की जनता जानना चाहती है । दरअसल इस बिहार के तमाम सामंतों के पास जो जमीन है, आप उस जमीन को बचाने के लिए गरीबों की हकमारी आप कर रहे हैं । दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि आज कृषि विभाग

के बारे में हम कहना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप आप बनाये हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो आप अनुदान देते हैं, क्या यह बिहार की सच्चाई नहीं है कि कृषि यंत्र पर जो आप अनुदान देते हैं, वह अनुदान बिचौलिया लूट कर ले जाता है। अनुदान देने के बाद जितनी दर पर आप किसान को मुहैया कराते हैं उससे कम दाम पर बाजार में दुकान में वह यंत्र मिलते हैं। एक बड़ा भ्रष्टाचार यह है और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी पैसा खर्च करके स्टेट ट्यूबवेल लगायी थी, लिफ्ट एलीगेशन लगाया था। आपके बजट में उस कृषि स्टेट ट्यूबवेल को फिर से चालू करने का, पूरे बिहार का बंद हो चुका है। आपने कोई इस पर चर्चा नहीं की है। इन सारी चीजों पर देखना चाहिए। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल है, वह सवाल शिक्षा के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि हायर एजुकेशन में खासकर कॉलेज टीचर के बीच में कॉलेज टीचरों की कमी है और टीचर की वेकेंसी आपने निकाली थी, 2020 में आपने निकाली थी वेकेंसी और उसके अगेंस्ट में टीचर ने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अगेंस्ट में एक अभ्यर्थी चला गया कोर्ट में और कार्ट में जब वह गया, तो कोर्ट ने दिया कि आप इस इंटरव्यू को पूरा लीजिए और सबको बहाल कीजिए। जब सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो उस बहाली के अगेंस्ट में सरकार ने एलपीए दायर किया और उस एलपीए का क्या हाल है, उस एलपीए का है कि 19 बार हाईकोर्ट ने डेट दी, आज भी उसकी डेट थी, आज भी फिर उसको डेट दे दी है। डेट पर डेट, डेट पर डेट, यही आप लोगों का शिक्षा के प्रति रखैया है। आखिरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि बजट जो आपने दिया है कि बिहार के चहुंमुखी विकास के लिए, लेकिन बिहार में सबसे निचले पायदान पर जो महिलाएं, जो रसाईया काम करती हैं, पता है, बिहार में जो दैनिक मजदूरी है एक मजदूर की, उतना आप नहीं दे सकते हैं, तो उसका आधा भी तो दीजिए। 50 रुपया पर एक रसोईया काम करती है। कैसे वह काम करती है, कभी सोचा है? पांच घंटा, दस घंटा वह काम करती है, लेकिन उसके बारे में आपके बजट में कुछ नहीं है और रसोईया के बारे में नहीं रहेगा, आशा जो है, जिसके बारे में हमारे कई साथियों ने उठाया है, पहले भी रखा है, सरकार ने उस पर आश्वासन दिया था कि हम इसको बढ़ायेंगे। उसको लागू तो कर दीजिए। कुरियर उसी के साथ है, रात्रि प्रहरी है, ममता है, स्कीम वर्कर है, इन सारी चीजों को आपको नजर में रखना चाहिए। अंत में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं खासकर सरकार से कि दलित प्रेम की बहुत बात कर रहे हैं आप लोग और अगर दलित प्रेम आपके अंदर है, तो दलित बस्ती को जो सम्पर्क पथ से

जोड़ने का सवाल है, आप किससे पूछ रहे हैं, आपका सीओ है, आपका मुलाजिम है, आपका कर्मचारी है आप एक सर्वे उसके माध्यम से लीजिए और एक स्टेंडिंग ऑर्डर निकालकर सभी दलित बस्ती को सम्पर्क पथ से जोड़ दीजिए, तब दलित प्रेम की बात होगी, वरना दलित प्रेम की कोई बात धोखा होगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो मैंने सजेशन दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस पर कोई निर्णय लेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर होगा ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री सप्ताट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 पारित हो, यह हम लोगों ने आग्रह किया है सभी लोगों से, इसकी स्वीकृति दी जाय । आज 2024 में जो पिछला बजट हमारा रहा, 2,61,000 करोड़ से शुरू हुआ और फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकेंड सप्लीमेंट्री के माध्यम से कुल 2,82,992.32 करोड़ रुपये की राशि समेकित निधि विनियोजित किया जाना है । इसमें से लगभग 2,33,999.48 करोड़ मतदेय एवं 44,992.84 करोड़ भारित है । कुल व्यय में राजस्व 2,39,943.60 करोड़ रुपया है और पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपया है ।

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि लगातार बिहार की सरकार काम कर रही है और बिहार के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार सभी क्षेत्रों में, चाहे वह महिलाओं का सेक्टर हो, बाल कल्याण की योजना हो, जल-जीवन-हरियाली हो इन सारे सेक्टर में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में काम हो रहे हैं और मैं संक्षेप में दो-तीन बातों को बताना चाहता हूं । अभी माननीय सदस्य आदरणीय समीर महासेठ जी ने चिंता जाहिर की कि बिहार में जो नगर निकाय है, इस पर जितनी हमको और चिंता करनी थी, हम नहीं कर पाये, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में अभी हम लोगों ने तुरंत प्लान किया कि एक सौ जगह पर, एक सौ शहरों को मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह आडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस इलाके में मास्टर प्लान के माध्यम से जोनल तय करने हैं और अभी जो प्रमुख शहर हैं हमारे पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर इन सभी जगहों पर मास्टर प्लान का काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था । सिर्फ पटना में

2014-15 में इस कार्य को किया गया और इस पूरे मास्टर प्लान को बिहार में लाने का काम किया गया था। उसके कई स्क्रूटनी भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी। जो 60 के दशक में कंकड़बाग या पीआरडीए के द्वारा यहां कॉलोनी बनायी गयी, उसके बाद हमने नहीं बनाये, तो यह पूरी शुरूआत की गयी है। जिस तरह स्मार्ट सिटी का डिवलपमेंट पूरे बिहार में हो रहा है, उसी की तर्ज पर पूरे बिहार में मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में मास्टर प्लान बनाकर जोनल भी तय करने हैं कि किस इलाके में इंडस्ट्री लगायी जा सकती हैं, किसी इलाके में हाऊसिंग कॉलोनी बनायी जा सकती हैं, कहां ड्रेन बनने चाहिए, कहां पार्क बनने चाहिए, कहां प्लांटेशन होना चाहिए यह सारी चीजों की चिंता सभी शहरों में करनी है। इसके साथ-साथ, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही हम लोग देखते रहे कि टाऊन हॉल या सर्किट हाऊस हमारे बहुत पुराने हैं। टाऊन हॉल का कन्सेप्ट नहीं था, तो हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन के तौर पर सभी जिला हेड क्वार्टर पर बाद में 263 यूएलबी को हम लोगों ने चिन्हित किया और अब यह पूर्ण रूप से तय कर दिया गया कि बिहार के किसी भी यूएलबी के द्वारा यदि वहां टाऊन हॉल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का काम किया जायेगा, तो बिहार के सभी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके साथ-साथ सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर, उन्होंने कहा कि सभी जगह स्ट्रॉम ड्रेन बनना चाहिए। क्योंकि पानी की निकासी, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता में यह रहा है कि ड्रेन में ही मल-मूत्र सब निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को, जो नमामि गंगे कन्सेप्ट लाये और पूरे भारत में, जो गंगा में मल-मूत्र त्यागे जाते हैं, उसको बंद करवाने का निर्देश दिया और बिहार जैसे प्रदेश में लगभग, आप समझिये कि पटना जैसे शहर में 350 एमएलडी का एक प्लांट लगाने का काम किया गया।

(क्रमशः)

टर्न-18/धिरेन्द्र/28.02.2024

(क्रमशः)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आपके भी क्षेत्र में जो पूरा इलाका है सैदपुर से लेकर पूरे इलाके में, सैदपुर से लेकर करमलीचक वगैरह सभी जगह एस०टी०पी० का निर्माण कराया गया और सभी शहरों में बक्सर हो, आरा हो, छपरा हो, हाजीपुर हो, पटना हो, फतुहा हो, बाढ़ हो, भागलपुर हो, नवगछिया हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, सभी जगहों पर एस०टी०पी० का निर्माण कहीं चल रहे हैं, कहीं पूरे हो गए हैं

और इसके साथ-साथ क्योंकि हमलोग तो मल-मूत्र, ये समझते थे कि हम अपने नाले में ही डाल दें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो एस.टी.पी. के निर्माण की शुरूआत वर्ष 2014 के बाद करायी गयी और पूरे देश में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से मिली, राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा दिया और पूरे प्रदेश में एस.टी.पी. का निर्माण शुरू होने का काम किया गया। इसके साथ-साथ स्मार्ट सिटी की भी चर्चा की सभी साथियों ने, अभी आप देख रहे होंगे कि मंदिरी नाला, हमलोग वर्ष 1981 में पटना आये तब से मंदिरी नाला को ओपेन देख रहे हैं। आज उस पूरे नाला का निर्माण किया जा रहा है और स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर चाहे वह भागलपुर हो और कई जगह, स्वाभाविक है कि काम पूरे नहीं हुए हैं यह मैं मान सकता हूँ.....

(व्यवधान)

आपके कार्यकाल में तो गारंटी है कि नहीं हुआ है। यह तो पहले ही हुआ है, आपने रोक जरूर दिया था। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में 15वें वित्त आयोग से इतनी राशि आती है, यहाँ बैठे हैं काँग्रेस के भी साथी, यू.पी.ए. की सरकार रही, उससे पाँच गुना अधिक राशि 15वें वित्त आयोग के माध्यम से बिहार को मिलेगा। यह है डबल इंजन की सरकार, इसी को कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए लगातार और देश का, देश में विकास हो सभी जगह प्रधानमंत्री जी और बिहार में मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयास से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी आदरणीय जीतन राम माँझी साहब ने जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो इनके द्वारा यह कहा गया कि कई ऐसी सड़कें हैं, स्वाभाविक है आपने ठीक बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर पर आर.डब्ल्यू.डी. की सड़कों का यहाँ से शिलान्यास करते थे और माननीय विधायक अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कराते थे, यह किसने बंद कराया पूरा बिहार जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमलोगों ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सब दिन यह काम ही शुरूआत करायी और अभी अजय जी बोल रहे थे इनके.....

(व्यवधान)

अजय जी बोल रहे थे इनके गाँव में भी सड़क पहुँची तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहुँची। इनके गाँव में तो सड़क ही नहीं थी, इनके पिता जी सिर्फ इसलिए चुनाव हार गए कि गाँव में सड़क नहीं बनी, यह मैं बता रहा हूँ। हमलोग साथ में, उनके साथ भी विधायक रहें और अजय जी तो कम जाते हैं उस इलाके में, उस गाँव में या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से गाँव की

सड़क बनी, या तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपर्क अभियान के माध्यम से इसको जोड़ने का काम किया । ठीक कहा अभी, जीतन राम माँझी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो मरम्मति के कार्य हैं, 3054 के माध्यम से लगातार बिहार में इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और सभी माननीय सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्र में अनुशंसा भी दी, अपने-अपने क्षेत्र से पूरा लिस्ट बना कर देने का काम किया है, जो विभाग इसकी पूरी समीक्षा भी कर रहा है । लगभग 10 हजार करोड़ रुपये इसमें लगने हैं तो आप यदि राशि को खोलने की चाबी नहीं दीजियेगा तो इस पूरे प्रदेश का विकास कैसे होगा ? इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए । आप लोगों के सहयोग से ही बिहार का विकास बढ़ेगा । इसलिए मैं तो, अध्यक्ष महोदय, सबसे आग्रह भी कर रहा हूँ लेकिन आप सोचिये कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को कितना, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य की ओर कोई जाता नहीं था, आप तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, तो स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से अनुशंसा भी ली और उस पर कार्य प्रारंभ करने का भी काम किया और इसमें भारत सरकार ने भी लगभग पाँच हजार करोड़ रुपया 15वें वित्त आयोग के माध्यम से काटकर स्वास्थ्य विभाग को दिया कि आप इसके माध्यम से एडिशनल पी०एच०सी०, पी०एच०सी०, हेल्थ सेंटर सब बनाने का काम किया । कोरोना का समय याद कीजिये, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगभग कहीं नहीं थे सिर्फ पटना या जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे वहीं पर उपस्थित थे लेकिन आज पूरे प्रदेश में 100 से अधिक जगहों पर पूरा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया और आवश्यकतानुसार, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता कम है यह मैं कह रहा हूँ, आवश्यकता उस समय के हिसाब से तय किया गया था, इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया । इसलिए मैं तो यही आग्रह करूँगा, संक्षेप में ही कि बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 को आप पारित करें, स्वीकृत करें और बिहार के खजाने को बिहार की जनता के हवाले, बिहार की जनता का विकास हो सके, यही आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-28 फरवरी, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-32 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक-29 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है ।